पत्रिका के लिए सम्पर्क

मध्यप्रदेश

सौसर	- लीलाधर सोमकुवर	9302373462
	मोरेश्वर रंगारे	9617145254
पांढुर्णा	- सुभाष सहारे	9753899561
	राजेन्द्र सोमकुवर	9893378559
बोरगाव (रेमण्ड)	अशोक कडबे	9424938454
सिवनी	- पी.सी. टेम्भरे	9425426500
जबलपुर	- एल.एम.खोब्रागडे	9685572100
	डोमाराव खातरकर	9770026154
भोपाल	- राहुल रंगारे	9893690451
सिहोर	- रवीन्द्र बांगरे	9425842508
छिन्दवाड़ा	- एस.सी.भाऊरजार	9893880415
सारणी	- किरण तायडे	9407282113
गुना	- लक्ष्मणसिंह बौद्ध	9827309472
कुम्भराज	- राजकुमार बौद्ध	9993848579
ग्वालियर	- धमेन्द्र बौद्ध	9977642289
भांडेर	- सियाशरण दोहरे	9329708399
दतिया	- आर.एस.भारती	9301598921
मंडला	- अमरसिंग झारीया	9993881515

छत्तीसगढ़

भिलाई	- बलवंत खोब्रागडे	9407981330
चरोदा	- मोरश्वर मेश्राम	9827871848
रायपुर	- सुनील गणविर	9753232894
राजनांदगाव	- रामप्रसाद नंदेश्वर	8103907945
बिलासपुर	- हरीश वाहाने	9424169477
चाम्पा	- संजीव सुखदेवे	9425575730
सारंगढ़	- नरेश बौद्ध	7828173910

उत्तरप्रदेश

लखनऊ	- निगमकुमार बौद्ध	9415750896
मोठ(झांसी)	- महेश गौतम	9452118038
आगरा	- जितेन्द्र प्रसाद	9927256608
झांसी	- अमरदीप	9695529570

महाराष्ट्र

नागपुर	- दादाराव वानखेडे	9423102300
वर्धा	- सुनील तायडे	9764872403
जाफराबाद	- बुद्धप्रिय गायकवाड	9764538108
अमरावती	- बापू बेले	9403593773
मोर्शी	- देवेन्द्र खांडेकर	9370197740
पुणे	- प्रशांत घंघाळे	9765915686
मूल	- हंसराज कुंभारे	9763694293
मुम्बई	- राजु कदम	9224351635
वरोरा	- भाऊराव निरंजने	7875902211
चंद्रपुर	- रामभाऊ वाहाने	9421879386

त्रैमासिक
प्रज्ञा प्रकाश

अनुक्रमणिका

- संपादकीय 2
- क्रान्ति तथा प्रतिक्रान्ति - बाबासाहेब आंबेडकर..... 4
- बुद्ध और उनका धम्म

  सद्धधम्म सम्बधी प्रवचन..... 10
- वर्तमान घटनाक्रम..... 17
- केन्द्रीय आम बजट-2013..... 25
- न्यायपालिका 27
- समिति द्वारा सम्पन्न कार्यक्रम 29
- समिति के आगामी कार्यक्रम 32

त्रैमासिक
प्रज्ञा प्रकाश

नियमित पढ़िए और दूसरों को पढ़ने दें.
क्योंकि यह भी एक समाजकार्य है.

प्रज्ञा प्रकाश की वार्षिक सदस्यता - रू. 60

सदस्यता राशि इस पते पर भेजें

ह्रदेश सोमकुवर,
सम्पादक
'प्रज्ञा प्रकाश' 363, बाबा बुद्धाजी नगर,
कामठी रोड, नागपुर-440 017.

संपादकीय

संसार में कई ऐसे देश है जहां के आम नागरिक कम समय में इतना धन अर्जीत कर लेते है की वह उनकी आजिवीका चलाकर जीवन का आनंद लेने के लिए पर्याप्त होता है। परन्तु भारत का आम नागरिक (गरिब और मध्यम वर्ग का आदमी) बचपन से बुढ़ापे तक अपनी जिवीका अर्जित करने के लिए ही संघर्ष करते रहता है। उसका पूरा जीवन अपना और अपने परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था करते-करते ही समाप्त हो जाता है। उसको अपने विकास के बारे में और अपनी दुरावस्था का स्थायी निदान खोजने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। इनमें से बहुत कम लोग इसके बारे में सोच पाते है परन्तु वह इस देश की विषमतावादी व्यवस्था के कारण कुछ कर नहीं पाते। कई लोगों की पिढ़ीयां गुजर गई परन्तु उनकी आर्थिक स्थिति में कोइ बदलाव नहीं आया है। वह आज भी उसी प्रकार का संघर्ष कर रहे है जिस प्रकार का संघर्ष उनके पुर्वज कर रहे थे। कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति तो और भी बिगड़ गई है। ऐसे लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के है। इनमें से बहुत थोड़े लोग आर्थिक प्रगति कर पाये है- जो राजनिती के सहारे गलत तरीके से धन इकट्ठा कर रहे है, जो बड़े पदों पर है और जो बड़ा व्यवसाय कर रहे है। आर्थिक सर्वेक्षण के नतिजे भी यही बतलाते है कि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही सर्वाधिक गरिब है। ब्राह्मणवादी सरकार भी यही चाहती है कि इस देश का आम आदमी समस्याग्रस्त बना रहे। उसे आश्वासन देकर ही संतुष्ट किया जाता है। उसे इस तरह मानसिक गुलाम बनाकर रखा है कि वह अपने शोषकों के समर्थक बना रहे। इसलिए तो न्यायमुर्ति मार्कण्डेय काटजू कहते है कि इस देश में 90 प्रतिशत लोग मुर्ख है। इसका मुख्य कारण है धर्मांधता। धर्मांधता के कारण ही आम लोगों में प्रज्ञा विकसित नहीं हो रही है और वह सत्य-असत्य, हित-अहित को नहीं समझ पा रहे है। इसीलिए आम आदमी का जीवन के हर क्षेत्र में शोषण हो रहा है परन्तु उसे वह समझ नहीं पा रहा है और शोषकों का समर्थक बना हुआ है।

हालही में केन्द्रीय वित्तमंत्री द्वारा वर्ष 2013-14 के लिए आम बजट प्रस्तुत किया। हमेशा की तरह यह बजेट भी आम आदमी विरोधी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की योजनाओं के लिए स्वयं सरकार द्वारा तय किया गया है कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनकी योजनाओं पर खर्च का प्रावधान करना चाहीए। इस निति के आधार पर अनुसूचित जाति के लिए 89,638 करोड़ तथा अनुसूचित जनजाति 46,479 करोड़ रूपये खर्च करने का प्रावधान करने की बजाय क्रमश 41,561 करोड़ तथा 24,598 करोड़ रूपये खर्च का प्रावधान किया है। जबकि सरकार को यह जानकारी है कि इन्हीं समुदाय के सर्वाधिक लोग गरीबी रेखा के निचे है। यह स्थिति इसलिए है क्योंकि ब्राह्मणवादी सरकार इन लोगों का उत्थान करना नहीं चाहती और इस वर्ग के लोग भी अपने अधिकारों के प्रति जागृत नहीं है वर्ना बजट प्रस्तुत होने के पुर्व ही इन लोगों ने अपने जायज अधिकारों के लिए सरकार पर दबाव बनाया होता।

भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग 52 प्रतिशत है जिसमें बहुसंख्यक लोग खेति पर निर्भर है। इस बजेट में कृषि मंत्रालय को 27,079 करोड़ रूपये आबंटीत किये है जिसमें से कृषि संशोधन के लिए 3,415 करोड़ रूपये है। खेति की उर्वरकता बढ़ाने और अधिक उत्पादन लेने के लिए किसानों को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। इसे व्यापक पैमाने पर करने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से यह खर्च का प्रावधान अपर्याप्त है। केवल कर्ज देकर किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अधिक उत्पादन, खाद की कम किमतें, सिंचन की सुविधा और अनाज का उचित मुल्य इनके कारण ही किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस सब के लिए अधिक राशी का प्रावधान करना आवश्यक है। सरकार द्वारा ऐसा नहीं कर इस बात का परिचय दिया है कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की प्रगति नहीं चाहती है। धर्मांधता के कारण इस समुदाय के लोग अपनी प्रगति के रास्ते नहीं देख पा रहे है और देश की शासक वर्ग, जो उनका

शोषण कर रहे है, उनके समर्थक बने हुये है।

भारत में अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत है जिनके लिए केवल 3,511 करोड़ रूपये खर्च का प्रावधान किया गया। जैसा कि हर समुदाय के थोड़े से लोग सम्पन्न होते है वैसे ही अल्पसंख्यकों में बहुत कम सम्पन्न है और अधिकतर लोग गरिब है।

वित्तमंत्री ने अन्य मदों में खर्चों के लिए भी प्रावधान किया है। शिक्षा और स्वास्थ्य आम आदमी के लिए अतिआवश्यक है। शिक्षा पर खर्च के लिए 65,869 करोड़ तथा स्वास्थ्य पर खर्च के लिए 32,745 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। भारत में इन दोनों क्षेत्र की वर्तमान हालात देखते हुये इन क्षेत्रों पर बहुत अधिक खर्च करने की आवश्यकता है जिससे आम आदमी लाभान्वित हो सके।

केन्द्र सरकार के अलावा राज्य सरकारे भी अपने-अपने राज्यों का वित्तीय बजेट प्रस्तुत करते है। वह भी उपरोक्त क्षेत्रों में खर्च के लिए कम राशी का प्रावधान करते है। केन्द्र के तथा राज्य के बजेट में जो कुछ थोड़ा सा आबंटन होता है उसका लाभ भी संबंधित लोगों को नहीं मिलता। इस राशी में से कुछ राशी शासन और प्रशासन में बैठे लोग और पुंजीपती हजम कर लेते और कुछ राशी अन्य मदों पर खर्चों के लिए परिवर्तित की जाती है। इस प्रकार सरकार न तो पर्याप्त राशी आम आदमी के उत्थान के लिए उपलब्ध कराती है और न ही उपलब्ध की गई राशी का लाभ उनको मिले इस का प्रबन्ध करती है। ऊपर से महंगाई पर अंकुश नहीं लगाया जाता जिसका शिकार भी आम आदमी ही है। वह और अधिक गरिब हो रहा है। सरकार खास आदमी (अमीर) के हित में प्रावधान करती है जिससे वह और अधिक अमीर हो रहा है। इस सरकारी निति के कारण गरिब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती ही जा रही है। इस वास्तविकता के आधार पर यह स्पष्ट होता है की सरकार स्वयं नहीं चाहती की आम आदमी की आर्थिक स्थिति में सुधार हो।

राष्ट्रीय आय को आम जनता में वितरित करने के सम्बन्ध में सन 1943 में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने कहा था कि, हमें मूल्य का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। भारत का औद्योगिक विकास करना यह लक्ष पर्याप्त नहीं है। औद्योगिक विकास का उपयोग सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए होना चाहीए। हमारी शक्ति का उपयोग भारत की केवल सम्पत्ति बढ़ाने के लिए हो यह पर्याप्त नहीं है। राष्ट्रीय सम्पत्ति में हम सब भारतीयों का हिस्सा है और उसका उपयोग हम अच्छा और सम्मानित जीवन जीने के लिए कर सकते है इस मुलभूत अधिकार को हमें नहीं मानना चाहीए जब तक हमारी असुरक्षा दूर नहीं की जाती। बाबासाहेब का इस कथन का आशय यह है कि हमें अच्छा और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए राष्ट्रीय सम्पत्ति में हमारा हिस्सा है इस मुलभूत अधिकार को मानना गलत होगा जब तक हमें सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती। वर्तमान स्थिति पर नजर डालने के बाद ऐसा प्रतित होता है कि मुठ्ठीभर धनी, ताकतवर और संसाधनयुक्त लोग ही अच्छा और सम्मानजनक जीवन जी रहे है। मानो उन्हीं की राष्ट्रीय सम्पत्ति में हिस्सेदारी है। वह जीवन का आनंद भी ले रहे है और उनके हितों की रक्षा भी सरकार कर रही है। ऐसा प्रतित होता है की, इस देश की सम्पत्ति में हिस्सेदारी का मुलभूत अधिकार इन्हीं लोगों का है। आम आदमी तो जीना है इसलिए किसी भी तरह जीवनयापन कर रहा है। उसके लिए मान-सन्मान तो दूर की बात है। उसके हित की सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है।

केवल आर्थिक क्षेत्र ही नहीं तो सामाजिक क्षेत्र में भी विषमता बढ़ रही है। भारत के किसी भी कोने में नजर ड़ाले तो हमें विषमता ही नजर आयेंगी। इस विषमता को कायम रखने के लिए एक सुनियोजित षड़यंत्र रचा गया है। वह है- 1. आम आदमी अपने पूरे जीवन भर अपनी आजिवीका की समस्या में उलझा रहे ताकि उसके पास अपने उत्थान की बातों पर विचार करने के लिए समय न रहे 2. उसकी समस्या दूर करने तथा उसकी प्रगति के लिए योजनाओं का दिखावा करे परन्तु उनका लाभ उसे न मिल पाये 3. उसे आश्वासन देकर मुर्ख बनाये रखें 4. वह मजबूर बना रहे ताकि उसमें स्वाभिमान पैदा न हो और बाजारू माल की तरह चाहे जब खरीदा जा सके। इसे गम्भीरता से समझना जरूरी है। आम आदमी की दुर्दशा का एकमात्र कारण यह है की इस देश में शिकारी (शासक) और शिकार (आम आदमी) दोनों भी उस धर्म के विचारों से ग्रसीत है जिसके मूल में ही विषमता है। जब तक उस धर्म का त्याग नहीं किया जाता और बुद्ध के समतावादी धम्म का स्वीकार किया नहीं किया जाता तब तक इस शोषण से मुक्ति नही मिल सकती।

क्रान्ति तथा प्रतिक्रान्ति

- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

IV

बलि के विरुद्ध दूसरा प्रबल प्रकार कूटदंत सुत्त के नाम से विख्यात उनके प्रवचनों में निहित है। यह इस प्रकार है:

उचित और अनुचित बलि

1. इस प्रकार मैंने सुना है। जब एक बार महाभाग लगभग पांच सौ बांधवों की भारी भीड़ के साथ यात्रा करते समय मगध से गुजर रहे थे, तो वह ब्राम्हणों के खानुमाता नामक एक गांव में पहुंचे और वहां अम्बलत्तिका विहारोद्यान में ठहरे। उस समय ब्राम्हण कूटदंत खानुमाता में ही रहता था। वह एक ऐसा स्थान था, जिसमें जीवन का स्पंदन था, काफी हरित भूमि और वन्य भूमि थी, पर्याप्त मात्रा में जल और अनाज था। मगध के राजा बिंबसार ने उपहार स्वरुप उसे यह क्षेत्र भेंट किया था। उस पर उसका ऐसा अधिकार था, मानो वह वहां का राजा हो। और तभी ब्राम्हण कूटदंत की ओर से एक विशाल बलि की तैयारी की जा रही थी। सौ सांडो, सौ बछड़ो, सौ बछियों, सौ बकरियों और भेड़ों को बलि-स्थल पर लाया गया था।

2. जब खानुमाता के ब्राम्हणों और परिवारवालों ने श्रमण गौतम के पहुंचने का समाचार सुना, तो उन्होंने साथियों और भृत्यों के साथ अंबलत्तिका विहारोद्यान जाने के लिए खानुमाता से प्रस्थान करना शुरु कर दिया।

3. और तभी ब्राम्हण कूटदंत मध्याह्न विश्राम के लिए अपने मकान के ऊपर की छत पर चला गया था। इस प्रकार लोगों को जाते हुए देखकर उसने अपने द्वारापाल से इसका कारण पुछा। द्वारापाल ने उसे कारण बताया।

4. तब कूटदंत ने सोचा : 'मैंने यह सुना है कि श्रमण गौतम तीन उपायों और उसके सोलह सहायक उपकरणों से बलि के सफल निष्पादन के बारे में समझ रखते है। लेकिन मुझे इस सबकी जानकारी नही है, फिर भी मैं बलि देना चाहता हूं। मेरे लिए यह अच्छा रहेगा कि मैं श्रमण गौतम के पास जाऊं और उसके बारे में उनसे पूछूं।'

इसलिए उसने अपने द्वारपाल को खानुमाता के ब्राम्हणों और गृहस्थों के पास यह कहने के लिए भेजा कि वे उसकी प्रतिक्षा करें, जिससे कि वह उनके साथ ही महाभाग से मिलने जा सके।

5. लेकिन उस समय विशाल बलि में भाग लेने के लिए बहुत से ब्राम्हण गांव में ठहरे हुए थे। और जब उन्होंने इस बारें में सुना तो वे कूटदंत के पास गए और उसे वहां न जाने के लिए उसी आधार पर समझाया, जिस आधार पर ब्राम्हणों ने पहले सोनदंड को समझाया था। लेकिन उसने भी उन्हें उसी प्रकार का उत्तर दिया, जैसा कि सोनदंड ने उन ब्राम्हणों को दिया था। तब वे संतुष्ट हो गए और उसके साथ ही महाभाग से मिलने चले गए।

9. कूटदंत ब्राम्हण ने आसन ग्रहण करने के बाद महाभाग को वह सबकुछ बताया, जो उसने सुना था और उनसे प्रार्थना की, कि वह उसे तीन उपायों और सोलह प्रकार के सहायक उपकरणों से बलि से सफल निष्पादन के बारे में बताएं।

'अच्छा, तो ब्राम्हण, ध्यान से सुनो और मैं बताऊंगा।'

बहुत अच्छा, श्रीमन् कूटदंत ने उत्तर में कहां, और महाभाग ने निम्न प्रकार से बखान किया :

10. हे ब्राम्हण, बहुत समय पहले महाविगत नामक शक्तिशाली राजा था। उसके पास बहुत धन और विपुल संपत्ति थी, चांदी और सोने के भंडार थे, आनंद के अपार साधन थे, वस्तुओं और अनाज के आगार थे और उसके कोष तथा धान्यागार भरे रहते थे। जब एक बार राजा महाविगत अकेले ध्यानमग्न था, उसे इस विचार से चिंता हुई कि मेरे पास अच्छी वस्तुओं की प्रचुरता है, जिसका कोई नश्वर व्यक्ति जी भरकर

उपयोग कर सकता है, संपूर्ण पृथ्वी वृत्त विजय द्वारा मेरे स्वामित्व में है, कितना अच्छा होता अगर मैं एक महान बलि दे सकता, जिससे बहुत दिनों तक मेरा सुख और कल्याण सुनिश्चित हो जाता। और उसने ब्राम्हण को जो उसका पुरोहित था बुलाया, जो कुछ भी उसने सोचा था, उसे बताया और कहा, हे ब्राम्हण मैं बहुत दिनों तक अपने सुख-शांति और कल्याण के लिए एक विशाल बलि देना चाहता हूं, इसलिए, श्रद्धेय, मुझे अनुदेश दें कि यह कृत्य कैसे संपन्न कराया जा सकता है।'

11. इस पर ब्राम्हण ने, जो पुरोहित था, राजा से कहा : 'श्रीमन, राजा का देश संकटग्रस्त तथा लुटपाट से उत्पीड़ित है। देश से बाहर जो डाकू है, वे गांवो और नगरों में डाका डालते है और सड़को को असुरक्षित बनाते है। जब तक ऐसी स्थिती रहती है, तब तक राजा कोई नया कर लगा दें, तो सचमुच महामहिम का यह कार्य अनुचित होगा। लेकिन संयोगवश महामहिम यह भी सोच सकते है कि मैं, अपमानित तथा देश-निष्कासित करके, दंडित करके और कारावास तथा मृत्युदंड द्वारा शीघ्र ही इन दुष्टों का प्रपंच समाप्त कर दूंगा। लेकिन उनका स्वेच्छाचार पूर्ण रुप से समाप्त नही किया जा सकता, जो दंडित होने से बच निकलेंगे, वे राज्य में परेशानी पैदा करते रहेंगे। इस अव्यवस्था को पूर्ण रुप से समाप्त करने के लिए एक उपाय काम में लाया जा सकता है। राजा के राज्य में जो भी लोग पशुपालन और खेती करते है, उन्हें महामहिम खाद्य तथा बीज प्रदान करें। राजा के राज्य में जो ाी लोग व्यापार करते है, उन्हें महामहिम पूंजी प्रदान करें। राजा के राज्य में जो भी लोग सरकारी सेवा करते है, उन्हें महामहिम वेतन और खाद्य प्रदान करें। तब वे लोग अपना-अपना कारोबार करते हुए कभी भी राज्य में संकट उत्पन्न नही करेंगे। राजा का राजस्व बढ़ेगा, देश में शांति रहेगी और एक-दूसरे के साथ सुख-चैन से निर्वाह करते हुए सामान्य जन अपनी बाहों में अपने बच्चों को झुलाते हुए द्वार खुला रखकर रहेंगे।'

हे ब्राम्हण, राजा महाविगत ने अपने पुरोहित की बात मान ली और उसी के कथनानुसार कार्य किया। और अपना-अपना कारोबार करते हुए उन लोगों ने कभी राज्य में कठीनाई उत्पन्न नही की। राजा का राजस्व बढ़गया और देश में सुख-शांति छा गई। सामान्य जन एक-दूसरे के साथ सुख-चैन से निर्वाह करते हुए अपनी बाहों में अपने बच्चों को झुलात हुए द्वार खुले रखकर रहने लगे।

12. तब राजा महाविगत ने अपने पुरोहित को बुलवाया और उससे कहा : 'अव्यवस्था समाप्त हो गई है। देश में शांति है। मैं बहुत दिनों तक अपनी सुख-शांति और कल्याण के लिए महान बलि देना चाहता हूं, इसलिए, श्रद्धेय, मुझे अनुदेश दें कि यह कृत्य कैसे संपन्न कराया जा सकता है।'

'तो राजा के राज्य में जो भी क्षत्रिय हों, उनके भृत्य हों, चाहें वे देहात में हों अथवा नगरों में हो, अथवा जो उनके मंत्री और कर्मचारी हों, चाहे वे देहात में हो अथवा नगरों में हो, अथवा जो मान्य ब्राम्हण हों, चाहे वे देहात में हों अथवा नगरों में हों, अथवा जो महत्वपूर्ण परिवार हों, चाहे वे देहात में हों अथवा नगरों में हों, उन्हें वह यह कहते हुए निमंत्रण भेजे : मैं एक बलि देना चाहता हूं, जिससे बहुत दिनों तक मुझे सुख-शांति और कल्याण प्राप्त हो सके।' श्रद्धेय, उसके लिए अपनी स्विकृती प्रदान करे।

हे ब्राम्हण, राजा महाविगत ने अपने पुरोहित की बात मान ली और निमंत्रण भेजे। क्षत्रियों, ब्राम्हणों और अन्य गृहस्थों ने एक जैसा उत्तर दिया : महामहिम, बलि संपन्न कराएं। राजन समय उपयुक्त है।

इस प्रकार ये चारों सहमति से सह्योगी के रुप में बलि कराने के लिए साधन बन गए।

13. राजा महाविगत निम्नलिखित आठ गुणों से युक्त थे : उनका जन्म मातृ पक्ष और पितृ पक्ष, दोनों की ओर से अच्छे कुल में हुआ था, उनकी पिछली सात पीढ़ियां पवित्र तथा शालीन थी, जन्म के संबंध में उन पर कोई कलंक नही लगा और किसी ने अंगुली नही उठाई।

वह सुंदर, आकर्षक, विश्वासोत्पादक, अत्यंत मनोहर स्वरुप वाले, गौर वर्ण और देखने में भव्य थे।

वह शक्तिशाली थे, प्रचुर धन-संपदा और विपुल संपत्ति से युक्त थे, चांदी और सोने, विलासिता सामग्री और अनाज के भंडारो से उनके कोष और धान्यागार परिपूर्ण रहते थे।

वह ताकतवर थे, स्वामिभक्त तथा अनुशासित चतुरंगिणी सेना (हाथी, घुड़सवार, रथ और धनुर्धर) उनके आदेशाधीन थी, मेरे विचार में अपनी किर्ती द्वारा ही वह अपने शत्रुओं का दलन करते थे।

वह आस्थावान और उदार थे, शालीन दानी थे, घर खुला रखते, और उनके कुएं से सामान्य-जन और ब्राम्हण, निर्धन

और राहगीर, भिखारी और याचक पानी भर सकते थे, वह अच्छे कार्यों के कर्ता थे।

वह सभी प्रकार के ज्ञान में अग्रणी थे।

वह कही गई बात का अर्थ समझते थे, और उसे समझा सकते थे, यह कहावत इस प्रकार है और इसका ऐसा अर्थ है।

वह बुद्धिमान, विशेषज्ञ और चतुर थे तथा वर्तमान अथवा भूत अथवा भविष्य, के बारे में विचार कर सकते थे। और उनके ये आठ गुण भी उस बलि के लिए साधन बन गए थे।

14. उनका ब्राम्हण (पुरोहित) इन चार गुणों से संपन्न था - उसका जन्म मातृ पक्ष और पितृ पक्ष, दोनों की ओर से अच्छे कुल में हुआ था, उसकी पिछली सात पीढ़ियां पवित्र तथा शालीन थीं, जन्म के संबंध में उस पर कोई कलंक नही लगा और किसी ने अंगुली नही उठाई।

वह आवृत्तिकर्ता विद्यार्थी था जिसे रहस्यवादी पद्य कंठस्थ थे, वह तीन वेदों का ज्ञाता था और उसके अनुक्रम, उनकी क्रिया-पद्धति, ध्वनि-शास्त्र और भाष्य से परिचित था। उसे पुराणों की जानकारी थी, वह मुहावरों और व्याकरण में निष्णात था, लोकायत (जनश्रुति संकलन) का अच्छा ज्ञान रखता था और एक महापुरुष के शरीर में विद्यमान तीस लक्षणों से परिचित था।

वह सदाचारी था, सदाचार के लिए सिद्ध हो गया था एसे गुणों से जिनको महान माना जाता है, युक्त था।

वह बुद्धिमान, विशेषज्ञ और चतुर था। आदर-सत्कार करने वालों में उसका पहला नही, तो दूसरा स्थान अवश्य था। इस प्रकार उसके चार गुण भी बलि कराने के लिए साधन बन गए। 15. और, हे ब्राम्हण, पुरोहित ने बलि प्रारंभ कराने से पहले राजा महाविगत को तीन विधियां समझाई : 'अगर महामहिम राजा विशाल बलि प्रारंभ कराने से पूर्व इस प्रकार का कोई खेद महसूस करें, जैस- हाय, इसमें मेरी धन-संपत्ति का काफी हिस्सा चला जाएगा, तो राजा को इस प्रकार के खेद को स्थान नही देना चाहिए। अगर महामहिम राजा विशाल बलि प्रस्तुत कराते हुए इस प्रकार का कोई खेद महसूस करें, जैसे-हाय, इसमें मेरी धन-संपत्ति का काफी चला जाएगा, तो राजा को इस प्रकार के खेद को स्थान नही देना चाहिए। अगर महामहिम राजा विशाल बलि कराने के बाद इस प्रकार का कोई खेद महसूस करें, जैसे-हाय, इसमें मेरी धन- संपत्ति का काफी चला जाएगा, तो राजा को इस प्रकार के खेद को स्थान नही देना चाहिए।

इस प्रकार, हे ब्राम्हण, बलि प्रारंभ कराने से पूर्व पुरोहित ने राजा महाविगत को तीन विधियां समझाई।

16. और इसके आगे, हे ब्राम्हण, बलि प्रारंभ होने से पूर्व किसी भी ऐसे पश्चाताप के निवारण के लिए, जो बाद के दस दिनों में उन लोगों के संबंध में उत्पन्न हो सकता है जिन्होंने उसमें भाग लिया हो, पुरोहित ने कहा,

'हे राजन, आपके द्वारा आयोजित बलि में ऐसे मनुष्य आएंगे जो जीवित प्राणियों का जीवन नष्ट करते है। और ऐसे भी जो उससे दूर रहते है, ऐसे मनुष्य जो उन चीजों को ग्रहण करते है जो उनको न दी गई हों और ऐसे भी जो उनसे दूर रहते है। ऐसे मनुष्य जो झूठ बोलते है और ऐसे भी जो झूठ नही बोलते, ऐसे मनुष्य जो पर निंदा करते है और ऐसे भी जो ऐसा नही करते, ऐसे मनुष्य जो अशिष्टता से बोलते है और ऐसे भी जो एसा नही करते, ऐसे मनुष्य जो व्यर्थ की बातें करते है और ऐसे भी जो उनसे अलग रहते है, ऐसे मनुष्य जो लोभ करते है और ऐसे भी जो लोभ नही करते, ऐसे मनुष्य जो दुर्भावना रखते है और ऐसे भी जो दुर्भावना नही रखते, ऐसे मनुष्य जिनके विचार अनुपयुक्त होते है और ऐसे भी जिनके विचार उपयुक्त होते है। इनमें से जो भी बुरा कार्य करता है, उसे उसके कर्म पर छोड़ दें। जो अच्छा कार्य करते है, उन्हें महामहिम भेंट प्रदान करें। राजन, उनके लिए अनुष्ठानों की व्यवस्था करें, उन्हें संतुष्टि दें, जिससे हम भी आंतरिक शांति प्राप्त हो सकेगी।'

13. और फिर, हे ब्राम्हण, जब कि राजा बलिदान करा रहे थे तो पुरोहित ने सोलह उपायों से उनकों अनुदेश दिया, प्रेरित किया और हर्षित किया। उसने कहा, 'जब कि राजा बलिदान करा रहे है, उनके बारे में लोग अगर यह कहें : राजा महाविगत अपनी प्रजा के चार वर्णो को आमंत्रित किए बिना, स्वयं आठ व्यक्तिगत गुणों से संपन्न न होने पर भी और चार व्यक्तिगत गुणों से मुक्त ब्राम्हण की सहायता के बिना बलिदान करा रहे है, तो उनका यह कथन तथ्य के अनुसार नही होगा। क्योंकि चार वर्णों की सहमति प्राप्त कर ली गई है ओर राजा आठ व्यक्तिगत गुणों से तथा उनके ब्राम्हण चार व्यक्तिगत गुणों से संपन्न है। जहां तक इन सोलह शर्तो में से प्रत्येक का संबंध है, राजा को इस बात से आश्वस्त किया जा सकता है कि हर शर्त पूरी कर ली गई। वह बलिदान करा सकते है,

प्रसन्न हो सकते है और अपने मन की शांति प्राप्त कर सकते है।'

18. और फिर, हे ब्राम्हण, उस बलिदान में न तो कोई बैल, न बकरियां, न मुर्गे, न मांसल सुअर और न किसी प्रकार के जीवित प्राणि ही मारे गए। खंभो के रुप में इस्तेमाल करने के लिए कोई वृक्ष नही काटे गए और बलिदान स्थल के चारों ओर विकीर्ण करने के लिए न कोई घास ही काटी गई। और वहां नियुक्त किए गए दासों, दूतों और कर्मचारियों को न तो डंडो से हांका जा रहा था और न वे भय से त्रस्त थे। काम करते हुए न तो वे रो रहे थे और न उनके चेहरे अश्रुपूरित थे। जो भी मदद करना चाहता था, वह काम करता था। जो मदद नही करना चाहता था, वह काम नही करता था। सभी अपनी रुचि के अनुकूल कार्य करते थे। जिस कार्य में उनकी रुचि नही थी, उसे वे बिना किए छोड़ देते थे। घी और तेल, दूध ओर मक्खन, शहद ओर खांड से ही वह बलिदान संपन्न किया गया।

19. और फिर, हे ब्राम्हण, क्षत्रिय, भृत्य और मंत्री तथा कर्मचारी, प्रतिष्ठित ब्राम्हण और महत्वपूर्ण गृहस्थ, चाहे वे देहात के हों अथवा नगरों के, अवने साथ काफी धन-संपत्ति लेकर राजा महाविगत के पास गए और उन्होंने कहा, 'यह प्रचुर धन संपत्ति हम राजा के उपयोग के लिए लाए है। महामहिम, हमारे हाथों से इसे ग्रहण कर लें। इस पर राजा महाविगत ने कहा' मित्रो, मेरे पास पर्याप्त धन-संपत्ति है। कराधान की राशी ही बहुत है। आप अपनी संपत्ति रखिए और अपने साथ और भी ले जाइए।

इस प्रकार राजा द्वारा उनकी बात मानने से इंकार कर दिए जाने पर, वे एक तरफ चले गए और उन्होंने एक-दूसरे के साथ इस प्रकार विचार-विमर्श किया यदि हम इस धन-संपत्ति को पुनः अपने घरों को वापस ले जाएं, तो यह हमारे लिए उचित नही होगा। राजा महाविगत महान बलिदान कर रहे है। हमें भी इस कार्य में योगदान करना चाहिए।

20. इसलिए राजा द्वारा निर्मित बलिदान-स्थल के पूर्व में क्षत्रियों ने, दक्षिण में कर्मचारियों ने, पश्चिम में ब्राम्हणों ने और उत्तर में अन्य गृहस्थों ने निरंतर दान की व्यवस्था की। उनमें जो वस्तुएं और उपहार दिए गए, वे स्वयं राजा महाविगत के महान बलिदान के अनुरुप थे।

इस प्रकार, हे ब्राम्हण, यह एक चंहुमुखी सह्योग था। राजा महाविगत आठ व्यक्तिगत गुणों से और उनके पालक ब्राम्हण चार गुणों से संपन्न थे, और उस बलिदान को कराने की तीन विधियां थी। हे ब्राम्हण, इस सोलह प्रकार के उपस्करों से युक्त त्रिगुणात्मक विधि से निष्पादित बलिदान को उपयुक्त उत्सव कहा जा सकता है।

21. और तब, उन ब्राम्हणों ने ऊंचे स्वर में कहा : 'कितना भव्य है यह बलिदान और कितना पवित्र है इसका निष्पादन।'

लेकिन कूटदंत ब्राम्हण वहां मौन बैठा रहा।

तब उन ब्राम्हणों ने कूटदंत से कहा : 'आप श्रमण गौतम के सही कथन का यह कहकर अनुमोदन क्यों नही करते कि उन्होंने ठीक कहा है?

ब्राम्हण कूटदंत ने कहा, 'मैं अवश्य अनुमोदन करता हूं, क्योंकि श्रमण गौतम के सही कथन का जो यह कहकर अनुमोदन नही करता है कि उन्होंने ठिक कहा है, तो सचमुच उसका सिर दो भागों में विभक्त हो जाएगा। लेकिन मैं इस बात पर विचार कर रहा था कि श्रमण गौतम यह नही कहते है कि इस प्रकार मैंने सुना है। न वह यह कहते है कि 'इस प्रकार यह अवश्य अनुपालनीय है।' वह केवल यह कहते है - 'तब यह इस प्रकार था', अथवा वह कहते है, 'ब वह वैसा था।' इसलिए मेरी यह धारण है कि निश्चित रुप से उस समय श्रमण गौतम ही स्वयं राजा महाविगत रहे होंगे, अथवा वह ब्राम्हण रहे होंगे जिसने उस बलिदान में उनके कार्यपालक के रुप में कार्य किया होगा। क्या श्रद्धेय गौतम यह स्विकार करते है कि जो इस प्रकार के बलिदान का उत्सव मनाता है, अथवा मनवाता है, वह मृत्यु के पश्चात शरीर के विलीन हो जाने पर स्वर्ग में किसी आनंद की अवस्था में 'पुनर्जन्म लेता है।'

'हां, हे ब्राम्हण, मैं यह स्विकार करात हूं। और उस समय में वही ब्राम्हण था, जिसने पुरोहित के रुप में वह बलिदान कराया था।'

22. 'हे गौतम, क्या कोई ऐसा अन्य बलिदान है, जो इसकी तुलना में कम कठिन और कम कष्टकर हो और जिसका फल और लाभ इससे अधिक हो?'

'हां, हे ब्राम्हण, ऐसा है।'

'हे गौतम, वह क्या हो सकता है'

'एक परिवार में निरंतर रखे जाने वाले वे उपहार जो विशेष रुप से सदाचारी संन्यासियों को प्रदान किए जाते है।'

23. 'लेकिन इसका क्या कारण है कि एक परिवार में रखे गए उपहारों का, विशेष रुप से सदाचारी संन्यासियों को निरंतर प्रदान किया जाना, तीन विधियों और सोलह प्रकार के उपसाधनों से संपन्न किए जाने वाले अन्य बलिदान की तुलना में कम कठिन और कम कष्टकर है, अधिक फलदायक और लाभप्रद है?'

'हे ब्राम्हण, बाद में बताए गए बलिदान को न तो अर्हत और न अर्हत मार्ग पर प्रवत्त कोई अन्य कराएगा। और ऐसा क्यों नही होगा? क्योंकि उसमें लाठियों से प्रहार किया जाता है और गले से पकड़ा जाता है। लेकिन वे पूर्वोक्त बलिदान में जाएंगे, क्योंकि उसमें ऐसा नही होता। इसलिए इस प्रकार के निरंतर उपहार अन्य प्रकार के बलिदान से श्रेष्ठ होते है।'

24. 'और, हे गौतम, इन दोनों में से किसी की भी तुलना में कोई अन्य बलिदान है, जो अपेक्षाकृत कम कठिन और कष्टकर है, किंतु अधिक फलदायक और लाभप्रद हो?'
'हां, हे ब्राम्हण, ऐसा है।'

'और, हे गौतम, वह क्या हो सकता है?'

'संघ की ओर से चारों दिशाओं में विहारों का निर्माण।'

25. 'और, हे गौतम, इन तीनों में से किसी एक और तीनों की तुलना में क्या कोई अन्य बलिदान है, जो अपेक्षाकृत कम कठिन और कष्टकर है, किंतु अधिक फलदायक और लाभप्रद हो?'

'हां, हे ब्राम्हण, ऐसा है।

'और, हे गौतम, वह क्या हो सकता है?'

'जो निष्ठपूर्ण हृदय से एक बुद्ध को अपने मार्गदर्शक के रुप में ग्रहण करता है, सत्य और संघ को ग्रहण करता है, वह एक ऐसा बलिदान है, जो खुले दान-गृह से श्रेष्ठ है, सतत भिक्षादान से श्रेष्ठ है और आवास-स्थान के उपहार से श्रेष्ठ है।

26. 'और, हे गौतम, इन चारों की तुलना में क्या कोई अन्य बलिदान है, जो अपेक्षाकृत कम कठिन और कष्टकर, किंतु अधिक फलदायक और लाभप्रद हो?'

'जब कोई मनुष्य निष्ठापूर्ण हृदय से संयम के द्वारा जीवन को नष्ट होने से बचाता है, जो वस्तुएं उसको नही दी गई है, उनको लेने से परहेज करता है, ऐंद्रिय आसक्तियों के संबंध में बुरे आचरण का परित्याग करता है मिथ्या वचनों का परित्याग करता है, मादम और पागल करने वाले पेय का त्याग कराता है जो लापरवाही की जड़ है, तो वह एक ऐसा बलिदान है, जो खुले दान-गृह से श्रेष्ठ है, निरंतर भिक्षादान से श्रेष्ठ है, आवास स्थानों के उपहार से श्रेष्ठ है और पथ-प्रदर्शन स्विकार करने से श्रेष्ठ है।

27. 'और हे गौतम, इन पांचो की तुलना में कोई अन्य बलिदान है, जो अपेक्षाकृत कम कठिन और कष्टकर है, किंतु अधिक फलदायक और लाभप्रद हो?

'हां, हे ब्राम्हण, ऐसा है।'

'और, हे गौतम, वह क्या हो सकता है?

इसका उत्तर श्रमण फल सुत्त 40 से 75 में (पुस्तक के पृष्ठ 62 से 74) से प्रथम गाथा के एक लंबे उद्धरण में निम्न रुप में दिया गया है :

1. बुद्ध के आविर्भाव, उनके उपदेश, श्रोता के मंतातरण, और उनके द्वारा संसार के परित्याग के संबंध में परिचयात्मक अनुच्छेद।
2. शील (सहज नैतिकता)।
3. विश्वास के संबंध में परिच्छेद।
4. 'इंद्रियो के द्वारा सुरक्षित है' के संबंध में परिच्छेद।
5. 'सावधान तथा आत्मलीन' के संबंध में परिच्छेद।
6. 'संतोष' के संबंध में परिच्छेद।
7. एकाकीपन के संबंध में परिच्छेद।
8. पांच बाधाओं के संबंध में अनुच्छेद।
9. प्रथम गाथा का वर्णन।

'हे ब्राम्हण, पूर्वोक्त बलिदानों की तुलना में यह बलिदान कम कठिन, कम कष्टकर है, किंतु अधिक फलदायक और लाभप्रद है।'

दूसरी, तीसरी और चौथी गाथा में क्रमशः यही बात कही गई है (जैसा कि श्रमण फल सुत्त 72.82 में है) और ज्ञान से उत्पन्न होने वाली अंतर्दृष्टि (तदैव 83.84) और आगे (85.96 सम्मिलित, किसी भी प्रकार सीधा वर्णन न करते हुए) आसवों, घातक मादक द्रव्यो से विनाश का ज्ञान (तदैव 97.98)

'और, हे ब्राम्हण इससे अधिक श्रेष्ठ और मधुर बलिदानोत्सव मनुष्य नही मना सकता।'

28. और जब वह इस प्रकार बोल चुके, तो कूटदंत

ब्राम्हण ने महाभाग से कहा : 'परम श्रेष्ठ, हे गौतम, आपके मुख से निकले शब्द अत्युत्तम है, जैसे कोई मनुष्य उसे स्थापित करे जो कुछ फेंद दिया गया हों, अथवा उसे प्रकट करे जों कुछ छिपाया गया हों, अथवा भटके हुए को कोई उचित मार्ग बताया जाए, अथवा अंधेरे में कोई प्रकाश दे जाए, जिससे आंखो वाले बाद्य स्वरुपों को देख सकें, ठिक वैसे ही जैसे श्रद्धेय गौतम ने मुझे सत्य का ज्ञान कराया है। मैं सिद्धांत तथा आदेश के अनुशीलन के लिए श्रद्धेय गौतम को अपने मार्गदर्शक के रुप में स्विकार करता हूं। श्रद्धेय, मुझे एक ऐसे शिष्य के रुप में स्विकार करें, जिसने आज के दिवस जीवन पर्यंत आपको अपना मार्गदर्शक चुन लिया है। और, हे गौतम, मैं स्वयं सात सौ सांडो, सात सौ बछियो और सात सौ बछड़ो, सात सौ बकरियों और सात सौ भेढ़ो को मुक्त कराऊंगा। मैं उन्हें जीवन दान देता हूं। वे हरी घास खाएं, ताजा पानी पिएं और उनके चारों ओर ठंडी हवा बहे।' तीसरे, बुद्ध ने जातिप्रथा की निंदा की। जातिप्रथा उस समय वर्तमान रुप में विद्यमान नहीं थी। अंतर्जातीय भोजन और आंतर्जातीय विवाह पर निषेध नही था। तब व्यवहार में लचीलापन था। आज की तरह कठोरता नही थी। किंतु असमानता का सिद्धांत जो कि जातिप्रथा का आधार है, उस समय सुस्थापित हो गया था और इसी सिद्धांत के विरुद्ध बुद्ध ने एक निश्चयात्मक और कठोर संघर्ष छेड़ा। अन्य वर्गों पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए ब्राम्हणों के मिथ्याभिमान के वह कितने कट्टर विरोधी थे और उनके विरोध के आधार कितने विश्वासोत्पादक थे, उसका परिचय उनके बहुत से संवादो से प्राप्त होता है। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण अम्बट्ठ सुत्त के रुप में जाना जाता है।

29. तब महाभाग ने ब्राम्हण कूटदंत से समुचित क्रमानुसार बातचीत की, अर्थात उन्होंने उसे उदारता, सम्यक आचरण, स्वर्ग, जोखिम, मिथ्या अहंकार, इंद्रिय आसक्तियों की अपवित्रता और परिवर्जन के लाभों के बारे में बताया। और जब महाभाग को यह ज्ञात हो गया कि कूटदंत ब्राम्हण तैयार हो गया है, मृदुल, पूर्वाग्रह रहित, उन्नत और हृदय से निष्ठावान बन गया है, तो उन्होंने उस सिद्धांत की घोषणा की, जिस पर केवल बुद्धों को ही विजय प्राप्त है, अर्थात दुख, उसके मुल और उसकी समाप्ति तथा सन्मार्ग का सिद्धांत। और जिस प्रकार सभी प्रकार के धब्बों के धुल जाने पर कोई स्वच्छ वस्त्र शीघ्र ही रंग ग्रहण कर लेगा, ठिक वैसे ही कूटदंत ब्राम्हण को वही बैठे-बैठे ही सत्य के दर्शन के लिए शुद्ध तथा निष्कलंक दृष्टि प्राप्त हो गई। उसे यह ज्ञान हो गया कि जिस किसी का प्रारंभ होता है, उस प्रारंभ में उसके विलोपन की अनिवार्यता भी निहित है।

30. और तब एक ऐसे व्यक्ति के रुप में, जिसने सत्य के दर्शन कर लिए हों, उस पर विजय प्राप्त कर ली हो, उसे समझ लिया हो और उसका गहन चिंतन कर लिया हों, जो संदेह के परे पहुंच गया हो, जिसने विमूढ़ता को भगा दिया हो और पूर्ण विश्वास प्राप्त कर लिया हो, और जो गुरु के उपदेशों के अपने ज्ञान के लिए किसी अन्य पर अवलंबित न हो, ब्राम्हण कूटदंत ने महाभाग को संबंधित करते हुए कहा : 'श्रद्धेय गौतम, कृपया संघ के सदस्यो सहित कल का भोजन मेरे साथ करने की स्विकृती प्रदान करे।' और महाभाग ने मौन रहकर अपनी सहमति प्रदान कर दी। यह देखते हुए कि महाभाग ने स्विकृती प्रदान कर दी है, कूटदंत ब्राम्हण अपने स्थान से उठे और उनके दाई ओर से गुजरते हुए, वहां से विदा हो गए। और तड़के ही उन्होंने बलिदान के लिए निर्मित वेदी पर पुष्ट और मृदु, दोनों ही प्रकार का मधुर भोजन तैयार करवाया और महाभाग ने, जो प्रातःकाल ही तैयार हो चुके थे, अपना चीवर पहना और अपना पात्र लेकर बांधवों सहित कूटदंत के बलिदान स्थल पर पहुंचे और वहां अपने लिए तैयार किए गए आसन पर बैठ गए और कूटदंत ब्राम्हण ने बुद्ध तथा बांधवो को अपने हाथों से पुष्ट और मृदु, दोनों ही प्रकार का मधुर भोजन तब तक परोसा, जब तक वे तृप्त नही हो गए, और जब महाभाग ने अपना भोजन कर लिया, अपना पात्र और हाथ धो लिए, कूटदंत ब्राम्हण ने नीचे का स्थान लिया और उनके पार्श्व में बैठ गए। और जब वह इस प्रकार आसीन हो गए, महाभाग ने धार्मिक प्रवचन द्वारा कूटदंत ब्राम्हण को अनुदिष्ट, प्रेरित, उत्साहित तथा हर्षित किया, उसके बाद वह अपने आसन से उठे और वहां से विदा हो गए।

(कूटदंत सुत्त समाप्त हुआ)

निषेध

'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा किये गये दलित मुक्ति के प्रयास असफल रहे' ऐसा कहने वाले आनंद तेलतुंबडे का हम निषेध करते है।

- बुद्ध धम्म प्रचार समिति

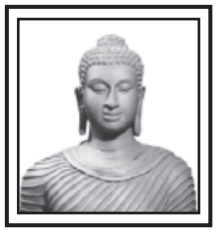

बुद्ध और उनका धम्म

लेखक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

सद्धम्म सम्बन्धी प्रवचन

1. सम्यक्-दृष्टि का पहला स्थान क्यों है?

1. आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक्-दृष्टि श्रेष्ठतम है।
2. सम्यक्-दृष्टि श्रेष्ठ जीवन की प्रत्येक बात की भूमिका है, चाबी है।
3. और सम्यक्-दृष्टि का न होना सभी बुराईयों की जड है।
4. सम्यक्-दृष्टि के विकास के लिये आवश्यक है कि आदमी जीवन की प्रत्येक घटना को कारण से उत्पन्न जाने। सम्यक्-दृष्टि का मतलब ही है कर्म कारण के नियम को जान लेना।
5. ''भिक्षुओं! जो कोई भी व्यक्ति मिथ्या-दृष्टि रखता है, मिथ्या-संकल्प रखता है, मिथ्या-वाणी रखता है,मिथ्या-कर्मान्त रखता है, मिथ्या-जीविका रखता है, मिथ्या-प्रयास करता है, मिथ्या-स्मृति तथा मिथ्या-समाधि रखता है, जिस का ज्ञान और विमुक्ति मिथ्या रहती है, उसका हर कार्य, उसका हर वचन, उसका हर विचार, उसकी हर चेतना, उसकी हर आकांक्षा, उसका हर निश्चय, उसकी हर प्रक्रिया--ये सभी चींजे उसे ऐसी स्थिति की ओर ले जाती है जो कि अरुचिकर होती है, बुरी लगती है, अलाभ-प्रद होती है तथा दुःखद होती है। ऐसा क्यों? मिथ्या दृष्टि के कारण।
6. ''ठीक आचरण ही पर्याप्त नहीं है। एक छोटा बालक ठीक आचरण कर सकता है, लेकिन इस का यह मतलब नहीं कि उसे इसका ज्ञान है कि

   उसका आचरण ठीक है। ठीक आचरण के लिये ठीक आचरण का ज्ञान आवश्यक है।
7. ''आनन्द! यथार्थ भिक्षु किसे कहते है? यथार्थ भिक्षु उसे ही कहते है जो बुद्धिपूर्वक संभव और असंभव के भेद को समझ लेता है।''

2. मृत्यु के बाद के जीवन की चिन्ता व्यर्थ

1. एक बार स्थविर महाकाश्यप तथा स्थविर सारिपुत्र वनाराम के पास ऋषिपतन के मृग-दाय (हिरण उद्यान) में ठहरे हुए थे।[10]
2. स्थविर सारिपुत्र, शाम के समय ध्यानावस्था से उठ, स्थविर महाकाश्यप के पास गये और एक ओर बैठ गये।
3. इस प्रकार बैठे हुए सारिपुत्र ने स्थविर महाकाश्यप से कहाः''काश्यप! क्या तथागत मरणान्तर रहते है?
4. ''बुद्ध ने यह घोषित नहीं किया कि तथागत मृत्यु के बाद रहते है।

   ''तो क्या तथागत मरणान्तर नहीं रहते?'

   ''बुद्ध ने यह घोषित नहीं किया कि तथागत मरणान्तर नहीं रहते हैं।''
5. ''तो क्या तथागत मरणान्तर रहते भी है और नहीं भी रहते हैं?''
6. ''बुद्ध ने यह भी घोषित नहीं किया कि तथागत रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं।''
7. ''तो तथागत मरणान्तर रहते है और हीं नहीं भी रहते है?'' ''बुद्ध ने यह भी घोषित नहीं किया कि तथागत मरणान्तर नहीं भी रहते हैं और नहीं नहीं भी रहते हैं।''
8. ''लेकिन तथागत ने इसे घोषीत क्यों नहीं किया?''
9. यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देने से मनुष्य का कुछ भी लाभ नहीं। यह श्रेष्ठ-जीवन का आरम्भ भी नहीं। इससे न प्रज्ञा की प्राप्ति होती है और न यह निर्वाण की ओर ले जाता है। यही कारण है कि तथागत ने इसको अघोषित रखा है।''

3. 'ईश्वर' से प्रार्थनायें और याचनायें करना बेकार

1. एक बार बुद्ध ने वासेट्ठ से बातचीत करते हुए कहा :-
2. ''यदि यह अचिरवती नदी किनारे तक लबालब भरी हो

और एक आदमी नदी के दूसरे तट पर काम हो, इसे पार करना चाहे;

3. ''और किनारे पर खडा होकर वह दूसरे किनारे को पुकार लगायेः ''हे उधर के किनारे! इधर आओ! हे उधर के किनारे! इधर आओं।'
4. ''हे वासेट्ठ! अब यह सोचो कि क्या उस आदमी के प्रार्थना करने से याचना करने से, आशा लगाने से, स्तुति करने से वह दूसरा किनारा उधर से इधर चला आयेगा?
5. ''ठीक इसी तरह वासेट्ठ! तीन वेदों के जानकार-ब्राह्मण-उन गुणों की अपेक्षा करके जो वास्तव में किसी को सच्चा ब्राह्मण बनाते हैं, उन दुर्गणों का अभ्यास करते है जो किसी को भी अ-ब्राह्मण बनाते है-ऐसी प्रार्थनायें करते हैं--
6. ''हे इन्द्र! हम तेरा आवाहन करते है। हे ब्रह्म! हम तेरा आवाहन करते है। हे ईशान! हम तेरा आवाहन करते है। है प्रजापति! हम तेरा आवाहन करते है। हे ब्रह्म। हम तेरा आवाहन करते है।
7. ''वासेट्ठ! यह निश्चित है कि ऐसा हो नहीं सकता कि अपनी प्रार्थनाओं, अपनी याचनाओं, अपनी आशाओं और अपनी स्तुति के कारण यह ब्राह्मण अपनी मृत्यु के बाद 'ब्रह्म' मे लीन हो जाये; ऐसा निश्चय से हो नहीं सकता।[18]

4. आदमी का भोजन उसे 'पवित्र' नहीं बनाता

1. एक ब्राह्मण बुद्धके पास आया और उसने प्रश्न उठाया कि भोजन का अदामीके चरित्र पर प्रभाव पडता है या नहीं?
2. ''ब्राह्मण बोला! जो, गिरि, दाल, फलियां, कोपलें--इस तरह का भोजन यदि ठीक से मिले तो सदाचरण का सहायक होता है। 'सत्र, गंदा मांस ' का खाना खराब है।''
3. ''तथागत! यद्यपि आप कहते है कि आप 'मुर्दार-मांस' नहीं खाते, लेकिन आप पक्षियों के मांस का बना हुआ एक से एक बढिया भोजन कर लेते है--मैं आप से पूछता हूँ कि 'मुर्दार-मांस' किसे कहा जाता है?''
4. तथागत ने उत्तर दिया--''किसी प्राणी की हत्या करना, किसी का अंग-छेद करना, मारना-पीटना-बध-बंधन, चोरी, झूठ बोलना, ठगी, वञ्चा, व्यभिचार-ये सब 'मुर्दार-मांस' है, मांस भेजन नहीं।
5. ''काम-भोगों के पीछे पडे रहना, पेटू-पन, अपवित्र-जीवन, वैर-विरोध--वे सब मुर्दार-मांस है, मांस-भोजन नहीं है।
6. ''चुगल-खोरी, निर्दयता, विश्वास-घात, अत्यन्त-अभिमान तथा कमीना-कंजूसपन--ये सब मुर्दार-मांस हैं, मांस भेजन नहीं।
7. क्रोध, मान, विद्रोह, चालाकी, ईर्ष्या, उबाल, अहंकार, कुसंगति ये सब मुर्दार-मांस है, मांस भोजन नहीं।
8. नीच-जीवन, किसी को झूट-मूठ बदनाम करना, धोखा देना, वंचक होना, धोखा-धडी, बदनामी--ये सब मुर्दार-मांस है, मांस-भोजन नहीं।
9. ये हत्या करने तथा चोरी करने का व्यसन-ये अपराध-ये खतरों से भरे हैं, ये नरक के द्वार हैं- ये सब मुर्दार-मांस भोजन नहीं।
10. जो आदमी शक्की है, उसके शक को न मत्स्य-मांस से विरत रहना दूर कर सकता है, न नग्न रहना, न जटायें, न मुण्डन, न (मृग--) छाल,न अग्निपूजा, न भावी सुख प्राप्ति के उद्देश्य से की गई कठोर-तपस्या, न जल द्वारा सफाई, न यज्ञ-हवन और न कोई दूसरी ऐसी ही संस्कार-क्रिया।
11. अपनी इन्द्रियों को संयत रखो, अपने ऊपर काबू रखो, सत्य का आग्रह रखो और दयावान बनो। जो शान्त-पुरुष सब बन्धनों को तोड देता है और सब दुःखो को जीत लेता है, वह फिर देखते-सुनते रहने के बावजूद (अनासक्त) रहने के बावजूद (अनासक्त रहने के कारण) निर्मल रहता है।
12. तथागत से इस ऊंचे, सत्य धम्म की देशना सुन--जिसमें 'मुर्दार-मांस की निन्दा की गई थी, और जो बुराई का क्षय करने वाली थी--ब्राह्मण ने विनम्रतापूर्वक वंदना की और प्रव्रज्या की याचना की।

5. भोजन नहीं, 'पवित्र कर्मो' का महत्व है

1. आमगन्ध नाम का एक ब्राह्मण तपस्वी अपने शिष्यों के साथ हिमालय में रहता था।
2. वे मत्स्य-मांस नहीं खाते थे। प्रति वर्ष वे कुछ नमक-खटाई खाने के लिये अपने आश्रम से नीचे उतर कर

वस्ती में आते थे। गांव के लोग उनका बडा स्वागत करते और चार महीने तक लगातार उनका आतिथ्य करते थे।

3. तब भिक्षु-संघ सहित बुद्ध भी वहीं आये। लोगो ने तथागत का धम्मोपदेश सुना तो उनके श्रावक बन गये।
4. सदा की भांति तपस्वी 'आमगन्ध' और उसके शिष्य भी उस गांव में आये, लेकिन लोंगों ने उसी उत्साह से उनका स्वागत नहीं किया।
5. आमगन्ध को यह जानकर निराशा हुई कि तथागत ने मत्स्य-मांस के भोजन का निषेध नहीं किया। इस बारे में यथार्थ जानकारी प्राप्त करने के लिये वह श्रावस्ती के जेतवन विहार पहुंचा, जहाँ तथागत ठहरे हुए थे। वह बोलाः--
6. ''जौ, फलियां और फल, खाने लायक पत्ते और जडें, किसी भी लता पर लगने वाली सब्जी--इन चीजों को न्यायतःप्राप्त कर जो भी कोई खाने वाला खाता है, वह सुख भोग के लिये झूठ नहीं बोलता।
7. ''आप दूसरों के दिये हुए दूसरों के द्वारा तैयार किये गये बढिया सामिष भोजन ग्रहण करते है। जो इस प्रकार का चावल (-मांस) का पुलाव खाता है, वह आम-गंध खाता है। आप पक्षी के मांस के पका हुआ बढिया चावल खाते है और कहते है कि मुझ पर 'आम-गंध' का दोष लागू नहीं होता!
8. ''मैं आप से इस का अर्थ जानना चाहता हूँ। यह आपका 'आम-गन्ध' किस तरह का है?''
9. तथागत ने उत्तर दिया :--''जीव हिंसा करना, पीटना, काटना, बांधना, चुराना, झूठ बोलना, ठगना, वंचना करना, अनुपयोगी जानकारी तथा व्यभिचार--यह आम-गंन्ध है; मांस का खाना नहीं।
10. ''इन्द्रिय-विषयों में असंयत होना, मधुर वस्तुओं के प्रति लोभी होना, अपवित्र कार्यो से सम्बन्धित होना,मिथ्या-दृष्टि होना, सीधा-सरल न होना,अनुकरणीय होना--यह आम-गंन्ध है; मांस का खाना नहीं।
11. ''कटु होना, कठोर होना, चुगल-खोर होना, विश्वासघाती होना, निर्दयी होन, अहंकारी होना, अनुदार होना तथा किसी को कुछ भी देने वाला न होना--यह आम-गंन्ध है; मांस का खाना नहीं।
12. ''क्रोध, अभिमान, उजड्डपन, विरोधी-भाव, ठगी, ईर्ष्या, शेखी मारना, अधिक अहंकार, कुसंगति--यह आम-गंन्ध है; मांस का खाना नहीं।
13. ''दुश्शीलता, लिये कर्ज का न देना, दूसरे का झूठा अपयश फैलाना,कपटी होना, बहानेबाज होना-- इस संसार में निकृष्टतम लोगों का इस प्रकार के कुकर्म करना --यह आम-गंन्ध है; मांस भोजन नहीं।
14. ''प्राणियों (की जान लेने) के विषय में असंयत होना, दूसरों को कष्ट पहुंचाने पर तुला होना, दूसरों की वस्तुएँ छीन लेना,दुश्शील होना, निर्दयी होना, कठोर होना तथा आदर की भावनारहित होना--यह आम-गंन्ध है; मांस भोजन नहीं।
15. ''लोभ या द्वेष से प्राणियों पर आक्रमण करना तथा सदैव कुकर्म करने के लिये उद्यत रहना--मरणान्तर आदमियों को अन्धकार से ले जाकर नरक में पहुंचा देता है--यह आम-गंन्ध है; मांस भोजन नहीं।
16. '' न मत्स्य-मांस से विरत रहने से, न नंगे रहने से, न सिर मुंडाने से, न जटाये रखने से, न भभूत रमाने से, न मृग-छाल धारण करने से,न अग्नि-पूजा करने से, न अमृत-प्राप्ति के निमित्त तमाम तरह की तपस्यायें करने से, न मन्त्र-जाप से, न बलि चढाने से और ऋतु के अनुसार भिन्न यज्ञ आदि करने से ही वह आदमी शुद्ध हो सकता है, जिसके सन्देह दूर नहीं हुए है।
17. जो संयतेन्द्रिय है जिसमे इंद्रियो पर काबू पाया है, जो धम्म में स्थित है, जिसे शीलपालन में आनन्द का अनुभव होता है, जिसने आसक्ति को त्याग दिया है और दुःख का क्षय कर चुका है; वह आदमी देखे-सुने के साथ आसक्त नहीं होता।
18. यह अकुशल-कर्म ही है, जो आमगन्ध है, मांस-भोजन नहीं।

6. बाह्य-शुद्धि अपर्याप्त है

1. एक बार बुद्ध श्रावस्ती मे विहार कर रहे थे। उस समय सङ्गारव ब्राह्मण भी वही रहता था। वह पानी से शुद्धि मानने वाला था और पानी से शुद्धि किया करता था। रात-दिन वह प्रायःस्नान करने में ही लगा रहता।[20]
2. अब आननद महास्थविर चीवर धारण कर, अपना पात्र चीवर साथ ले, श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिये निकले। भिक्षाटन से लौटकर, भिक्षा ग्रहण कर चुकने पर,

आनन्द महास्थविर तथागत के पास पहुंचे, अभिवादन किया और एक ओर बैठ गये। इस प्रकार बैठे हुए आनन्द महास्थविर ने कहाः--

3. ''तथागत यहाँ श्रावस्ती में सङ्गारव नाम का एक ब्राह्मण रहता है। वह पानी से शुद्धि में विश्वास रखता है और पानी से शुद्धि ही करता रहता है। रात-दिन उसका अधिकांश समय स्नान करने में ही खर्च होता है। तथागत! यह अच्छा होगा यदि आप सङ्गारव पर दया कर उससे भेंट करने चलें।''
4. तथागत ने मौन रहकर स्वीकार किया।
5. दूसरे दिन प्रातःकाल तथागत अपना चीवर पहन, पात्र-चीवर साथ ले, सङ्गारव ब्राह्मण के घर जा पहुंचे। वहाँ जाकर बिछे आसन पर बैठे।
6. तब सङ्गारव ब्राह्मण जहाँ तथागत थे, वहाँ आया और कुशल-क्षेम पूछ एक ओर बैठ गया।
7. उस के बैठ जाने पर सङ्गारव ब्राह्मण से तथागत ने पूछाः-- ''ब्राह्मण! जैसा लोग कहते है, क्या यह सच है कि तुम जलसे शुद्धि में विश्वास रखते हो, पानी से शुद्धि ही करते रहते हो? तुम्हारा रात-दिन का अधिकांश समय स्नान करने में ही खर्च होता है।''
8. श्रमण गौतम ! यह सच है।
9. ''ब्राह्मण! इस प्रकार रात-दिन स्नान आदि करते रहने में ही तुम क्या लाभ देखते हो?''
10. ''श्रमण गौतम! यह इस तरह है कि दिन में मुझसे जो कुछ भी पाप-कर्म होता है, मैं उसे उसी दिन शाम को धो डालता हुँ। और रात को मुझसे जो पाप-कर्म होता है, वह मैं प्रातः काल उठते ही स्नान करके धो डालता हूँ। इस प्रकार रात-दिन स्नान आदि करने में मुझे यही लाभ दिखाई देता है।''
11. तब तथागत ने कहा--
12. ''धम्म ही वह जल-स्त्रोत है, जो स्वच्छ है, जो निर्मल है।
13. ''यहाँ जब शास्त्रों के ज्ञाता स्नान करने आते है, तो उनका प्रत्येक अंग शुद्ध हो जाता है तथा दूसरे तट पर चले जाते है।
14. तथागत के ऐसा कहने पर सङ्गारव ब्राह्मण बोला--''श्रमण गौतम! यह अद्भूत है। आज से जीवनपर्यंत आप मुझे अपना शरणागत उपासक जाने''।

पवित्र जीवन क्या है?

1. एक बार बुद्धने चारिका करते समय भिक्षुओं को निम्नलिखित प्रवचन दियाः-:
2. ''भिक्षुओं! यह पवित्र जीवन न लोंगो को ठगने के लिये है, न उनमे कुछ प्राप्त करने के लिये है, न लाभ-यश की प्राप्ति के लिये है, न शास्त्रार्थ करना सीखने के लिये है, न इसलिये है कि लोग जान जायें कि यह अमुक है। निश्चय से भिक्षुओं! इस पवित्र जीवन का अभ्यास किया जाता है शरीर और वाणी को संयत रखने के लिये विकृती को दूर करने के लिये तथा चित्त की विमुक्ति और तृष्णा का क्षय प्राप्त करने के लिये।''[21]

सामाजिक-राजनीतिक प्रश्नों पर प्रवचन

1. राजाओं की कृपा के भरोसे मत रहो

1. एक बार बुद्ध राजगृह में बासं वन में कलन्दक-निवाप में ठहरे हुए थे।
2. उस समय राजकुमार अजातशत्रु देवदत्त का सहायक बना हुआ था, जो बुद्ध का विरोधी बन गया था।
3. वह पांच सौ गाडियों में भोजन भरे पांच सौ बर्तन लाद कर देवदत्त के समर्थकों तक सुबह-शाम पहुंचाता था।[22]
4. तब कुछ भिक्षु तथागत के पास आये, अभिवादन किया और एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे हुए भिक्षुओं ने ये सभी बातें तथागत को सुनाई।
5. तब तथागत ने भिक्षुओं को सम्बोधित करके कहा-- ''भिक्षुओं! राजाओं से लाभ-सत्कार की, खुशामद की इच्छा न करो। जब तक भिक्षुओं! अजातशत्रु पांच सौ गाडियों में, भोजन भरें पांच सौ बर्तन लाद कर देवदत्त के समर्थकों तक सुबह-शाम पहुंचाता है, तब तक इस में देवदत्त की हानि ही है, लाभ नहीं है।
6. भिक्षुओं! यदि कोई किसी पागल कुत्ते की नाक तक किसी की कलेजी ले जाता है तो वह उस कुत्ते को और भी अधिक पागल ही बनायेगी, इसीप्रकार जब तक भिक्षुओं! अजातशत्रु पांचसौ गाडियों में, भोजन भरे पांच सौ बर्तन लाद कर देवदत्त के समर्थकों तक सुबह-शाम पहुंचाता है, तब तक इसमें देवदत्त की हानि ही है, लाभ नहीं। भिक्षुओं! राजाओं से मिलने वाले लाभ-सत्कार-खुशामद और भेंट आदि इतने भयानक होते है।
7. ''वे शान्ति-प्राप्ति के मार्ग की बडी ही कटु, दुखद बाधायें

है।

8. ''इसलिये भिक्षुओं! ऐसा अभ्यास डालना चाहिये कि जब हमे राजाओं से लाभ-सत्कार,खुशामद और भेंटे आदि मिलेंगी, हम उन्हें अस्वीकार करेंगे और जब वह सिर पर आ ही पडें तो वह हमें जकड नही पायेंगी, हमारे हृदय में उनका कोई स्थान नहीं होगा और वे हमें राजकुमारों का गुलाम नहीं बना सकेंगी।'

2. राजा धाम्मिक होगा, तो प्रजा भी धाम्मिक होगी

1. एक बार बुद्ध ने भिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए कहा--
2. ''भिक्षुओं! ऐसे समय जब राजा अधाम्मिक हो जाते हैं तो उनके मन्त्री-गण और अफसर भी अधाम्मिक हो जाते है। जब मंत्री-गण और अफसर अधाम्मिक हो जाते है । तो ब्राह्मण और गृहपति भी अधाम्मिक हो जाते है। जब ब्राह्मण और गृहपति अधाम्मिक हो जाते है, तो नगरों के नागरिक और ग्रामों के ग्रामीण भी अधाम्मिक हो जाते हैं।
3. ''लेकिन भिक्षुओं! ऐसे समय जब राजा धाम्मिक होते है तो उनके मन्त्रीगण और अफसर भी धाम्मिक होते रहते है, जब मन्त्री गण और अफसर धाम्मिक रहते है तो ब्राह्मण और गृहपति भी धाम्मिक हो जाते है। जब ब्राह्मण गृहपति धाम्मिक रहते है, तो नगरों के नागरिक और ग्रामों के ग्रामीण और भी धाम्मिक हो जाते है।
4. ''जब गायें नदी पार करती होती है तब यदि बूढा बैल गलत रास्ते पर जाता है तो उसका अनुकरण करती हुई वे सभी गलत पथ का अनुकरण करती है। इस प्रकार आदमियों में जो मुखिया होता है यदि वह कुमार्गी बनता है तो दूसरे भी कुमार्गी बनते है।
5. ''इसी प्रकार जब राजा पथभ्रष्ट होता है, तो समस्त राज्य दुःखी होता है। जब गायें नदी पार करती है, तब यदि बैल सीधा जाता है, तो सभी गायें भी उसका अनुकरण कर सीधी जाती है। इस प्रकार आदमियों में जो मुखिया होता है यदि वह सन्मार्गी होता है तो दूसरे भी सन्मार्गी होते है। जब राजा धाम्मिक होता है तो सारा राज्य सुखी रहता है।''[23]

3. राजनीतिक तथा सामरिक शक्ति सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर करती है

1. एक समय बुद्ध राजगृह में गृध्रकूट पर्वत पर ठहरे थे।[24]
2. उस समय मगध-नरेश, वैदेही-पुत्र अजातशत्रु वज्जियों पर आक्रमण करना चाहता था। उसने अपने मन में कहा- ''चाहे ये कितने ही शक्तिशाली क्यों न हों, मैं इन वज्जियों की जड खोद डालूंगा, मैं इन वज्जियों को नष्ट कर डालूंगा, मैं इन वज्जियों का सर्वथा विनाश कर डालूंगा।''
3. तब उसने मगध के मन्त्री वर्षकार ब्राह्मण को बुलाया और कहा--
4. ''ब्राह्मण! तुम जाओं और बुद्ध के पास जाओ,मेरी ओर से उनके चरणों में नमस्कार करो, तब उनका कुशल-समाचार पूछो कि वे निरोग और स्वस्थ हैं या नही?
5. ''और तब उनसे कहो कि मगध-नरेश वैदेही-पुत्र अजातशत्रु वज्जियों पर आक्रमण करना चाहता है। उसका कहना है कि चाहे वे कितने ही शक्तिशाली हो, वह उनकी जड उखाड देगा, वह उनको नष्ट कर डालेगा, वह उनका सर्वथा विनाश कर देगा।
6. ''ऐसा कहने पर जो कुछ तथागत कहें उसे ध्यानपूर्वक सुनना और आकर मुझे बताना। क्योंकि बुद्धों का कथन कभी अन्यथा नहीं होता।''
7. तब वर्षकार ब्राह्मण ने राजा के वचनों को सुना और कहा-''जैसा आप चाहते है, वैसा होगा।'' और बहुत से सुन्दर-सुन्दर रथ जुतवाकर वह गृध्र-कूट पर्वत पर पहुंचा।
8. तब वहां पहुंच कर वर्षकार ब्राह्मण ने तथागत को अभिवादन किया, उनका कुशल-समाचार पूछा और राजा की आज्ञा के अनुसार मगध-नरेश का संदेश तथागत के सामने निवेदन कर दिया।
9. उस समय आनन्द स्थविर तथागत के पास खडे थे। तथागत ने आनन्द को सम्बोधित करके पूछा :--''आनन्द! क्या तुमने सुना है कि वज्जिगण के लोग प्रायः अपनी सार्वजनिक समितियों की बैठक करते रहते है?
10. आनन्द स्थविर ने उत्तर दिया--''हाँ भगवान! मैंने ऐसा सुना है''
11. तथागत ने कहा-''आनन्द! जब तक वज्जी अपनी सार्वजनिक समितियों की बैठके करते रहेंगे, तब तक वज्जियों की वृद्धि ही होती रहेगी, उनका ह्रास नहीं होगा।

12. ''आनन्द! जब तक वज्जी मिल-जुलकर बैठेंगे, मिल-जुलकर उठेंगें और मिल-जुलकर अपने निश्चयों को कार्यरुप में परिणत करेंगे तब तक उनका ऱ्हास नही होगा।''
13. ''आनन्द! जब तक वह बिना नियम बनाये काई कार्रवाई नहीं करेंगे, जो नियमवन चुका है उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, और पुरानें समय से चली आई वज्जियों की परम्परा के अनुसार कार्य करेंगे तब तक उनका ऱ्हास नही होगा।
14. ''जब तक वे अपने ज्येष्ठ वज्जियों का आदर-सत्कार करते रहेंगे उनकी आवश्यकतायें पूरी करते रहेंगे और उनकी बातों को महत्व देते रहेंगे तब तक उनका ऱ्हास नही होगा।
15. ''जब तक वे किसी वज्जी लडकी या स्त्री को जबर्दती अपने यहाँ लाकर नहीं रखेंगे तब तक उनका ऱ्हास नही होगा।
16. ''जब तक वज्जीगण के लोक धर्म का पालन करते रहेंगे तब तक उनका ऱ्हास नही होगा।
17. ''जब तक वे ये बातें करते रहेंगे तब तक वज्जियों की वृद्धि ही होती रहेगी, उनका ह्रास नहीं होगा, और कोई उनका नाश नहीं कर सकता।''
18. थोडे शब्दों में बुद्ध ने कहा कि जब तक वज्जीगण प्रजातन्त्र में विश्वास करते हैं और प्रजातन्त्रात्मक ढंग से रहते हैं तब तक उनके गणराज्य को कोई खतरा नहीं।
19. तब तथागत ने वर्षाकार को सम्बोधित किया--
20. ''हे ब्राह्मण! जब मै वैशाली में ठहरा हुआ था, तब मैंने वज्जीयों को ये बातें सिखाई थीं।''
21. ब्राह्मण बोला--''तो हम वज्जीयों की उन्नती की ही आशा कर सकते है, अवनति की नहीं। हे गौतम! मगध-नरेश वज्जीयों को नहीं जीत सकता।''
22. इस प्रकार वर्षकार ब्राह्मण ने तथागत के वचन सुने, वह अपने आसन से उठा और राजगृह वापस लौट कर उसने मगध-नरेश को वह सब कह सुनाया जो उसने तथागत से सुना था।

4. युद्ध निषिद्ध (मना) है

1. ऐसा हुआ कि मगध-नरेश अजातशत्रु ने घुडसवार और पैदल सेना इकट्ठी कर कोशल-नरेश प्रसेनजित के राज्य के एक हिस्से काशी-जनपद पर आक्रमण कर दिया।
2. दोनों लडे। अजातशत्रु ने प्रसेनजित को हरा दिया। प्रसेनजित वापस श्रावस्ती चला गया।
3. जो भिक्षु श्रावस्ती से भिक्षाटन कर लौट रहे थे, उन्होंने आकर बुद्ध को लडाई का तथा प्रसेनजित के हार कर वापस लौट आने का समाचार कहा। ''भिक्षुओं! मगध-नरेश अजातशत्रु अकुशल का पक्ष लेने वाला है। कोशल-नरेश प्रसेनजित कुशलधर्मी है। अभी प्रसेनजित राजा पराजित हो जाने के कारण दुःखी रहेगा।
5. ''जय से वैर पैदा होता है। पराजित दुःखी रहता है। लेकिन जो उपशान्त है, जिसे जय-पराजय की चिन्ता नहीं, वह सुखपूर्वक सोता है।''
6. फिर ऐसा हुआ कि वे दोनों राजा दूसरी बार युद्ध-भूमि मे मिले। लेकिन इस बार कोशल-नरेश प्रसेनजित ने अजातशत्रु को हरा दिया और जीवित पकड लिया। तब प्रसेनजित ने सोचाः--''यद्यपि अजातशत्रु ने--जिसे मैं कुछ हानि नहीं पहुंचा रहा था, मुझे कष्ट दिया है, तो भी वह मेरा भान्जा है। कैसा हो यदि मैं उसे जीता छोड दूँ, किन्तु उसकी सारी सेना, हाथी, घोडे, रथ और पैदल ले लूँ।'' उसने वैसा ही किया।
7. श्रावस्ती में भिक्षाटन करके लौटने पर भिक्षुओं ने आकर तथागत को यह समाचार सुनाया। तब तथागत ने कहा--''एक आदमी दूसरे की यथेच्छ हानि कर सकता है, लेकिन जिसकी हानि होती है वह फिर दूसरे को हानि पहुंचाता ही है।
8. ''जब तक पाप-कर्म फल देना आरम्भ नहीं करता तब तक मूर्ख आदमी आनन्द मना सकता है। लेकिन जब पाप-कर्म फल देता है, तब मूर्ख आदमी दुःखी होता है।
9. ''हत्यारे को हत्यारा मिलता है, जो दूसरों को लडाई में हराते हैं उन्हें हराने वाले मिल जाते हैं, जो दूसरों गाली देता है, उसे गाली देने वाले मिल जाते है।
10. ''इस प्रकार कर्म के विकास के फलस्वरुप जो आदमी दूसरें को कष्ट देता है, वह कष्ट पाता है।''

5. युद्ध-विजेता के कर्तव्य

1. जब योध्दा युद्ध-विजयी हो जाता है तो सामान्य तौर पर वह अपना अधिकार समझता है कि यदि वह पराजित को

अपना दास बनाकर न रखें तो उसे कम से कम जलील तो खूब करे। बुद्ध का इस विषय में सर्वथा भिन्न दृष्टिकोण था। वे समझते थे कि यदि 'शान्ति' का कुछ भी अर्थ है तो उसका यही अर्थ होना चाहिये कि विजेता अपनी 'विजय' से विजित की सेवा करे। इस बारे में उन्होंने भिक्षुओं को कहाः-

2. ''शान्ति स्थापित हो जाने पर (युद्ध) कुशल आदमी के लिये आवश्यक है कि वह योग्य सिद्ध हो, सीधा-सरल सिद्ध हो, मृदुभाषी हो, कोमलस्वभाव हो, अभिमानी न हो, सन्तुष्ट रहने वाला हो, सुभर (-जिसके भार का अनुभव न हो) हो, अल्पकृत्य, हलकी-फुलकी वृत्ति वाला, इन्द्रिय-विजयी हो, बुद्धिमान हो, अप्रगल्भ हो, योग्य करने वाला हो तथा कभी छोटे से छोटा भी कोई ऐसा खराब काम न करे जिसकी विद्वान लोग निन्दा कर सकें।
3. ''सभी प्राणि सुखी रहें, सभी का कल्याण हो--सबल हों वा दुर्बल हों, बडे हों या छोटे हों, दृश्य हो वा अदृश्य हों, पास रहने वाले हों वा दूर रहने वाले हों, उत्पन्न हो चुके हों वा उत्पन्न होने वाले हों--सभी प्राणि शान्त रहें।
4. ''कोई एक दूसरे का अपमान न करे, क्रोध या घृणा के वंशीभूत होकर कोई किसी का बुरा न चाहे।
5. ''जिस प्रकार माता अपने प्राण देकर भी अपने इकलौते बच्चे से प्यार करती है वैसी ही भावना सभी प्राणियों के प्रति रखें। ऊपर, नीचे, चारों ओर असीम मैत्री भावना रखें- जो द्वेष रहित हो, और जिसमे शत्रुता न पनप सके।
6. ''खडे होते समय, चलते समय, बैठे रहते समय, लेटे रहते समय अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ यही भावना रखें--यही 'दिव्य स्थिति' कहलाती है।''

घोषणापत्र

फार्म *IV* (नियम 8)

1)	प्रकाशन का स्थान	:	नागपुर
2)	प्रकाशन का नियतकाल	:	त्रैमासिक
3)	मुद्रक का नाम	:	प्रज्ञा प्रिन्टर्स
	क्या भारतीय है	:	हां
	पता	:	केशव काम्पलेक्स, 10 नंबर पुल, कामठी रोड, नागपुर-440 017.
4)	प्रकाशक का नाम	:	हृदेश सोमकुवर
	क्या भारतीय है	:	हां
	पता	:	363, बाबा बुद्धाजी नगर, कामठी रोड, नागपुर- 440 017.
5)	संपादक का नाम	:	हृदेश सोमकुवर
	क्या भारतीय है	:	हां
	पता	:	363, बाबा बुद्धाजी नगर, कामठी रोड, नागपुर- 440 017.
6)	समाचार पत्र के मालिकों के नाम और पत्ते और भागीदार या अंशधारक जिनका हिस्सा पूरी पूंजी के 1 प्रतिशत से अधिक है	:	बुद्ध धम्म प्रचार समिति कार्यालय-बुद्ध विहार के सामने, डॉ. आंबेडकर वार्ड, सौसर, जि. छिन्दवाडा (म.प्र.) 480 106.

मैं, हृदेश सोमकुवर घोषणा करता हूं कि, उपर दिया गया विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है।

नागपुर
दि. 31 मार्च 2013

(हृदेश सोमकुवर)

प्रकाशक के हस्ताक्षर

गुजरात का मृगजल :

भारत का मिडिया और हिन्दुवादी नेता गुजरात के विकास के बारे में बडे पैमाने पर प्रचार कर रहे हैं. यह प्रचार वास्तविकता से कितना परे है यह निम्नलिखित आंकडे बताते है।

1)

प्रतिव्यक्ति आय	2010-2011
दिल्ली	रु. 1,08,876
गोवा	रु. 1,02,844
चंडीगढ	रु. 99,487
पांडेचरी	रु. 79,333
महाराष्ट्र	रु. 62,729
हरियाणा	रु. 59,221
अंदमान निकोबार	रु. 54,762
गुजरात	रु. 52,708

(स्त्रोत - योजना आयोग)

2) गरिबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या मे कमी (2004 और 2010 के बीच)

महाराष्ट्र	13.7 प्रतिशत
तामिलनाडू	12.3 प्रतिशत
कर्नाटक	9.7 प्रतिशत
राजस्थान	9.6 प्रतिशत
गुजरात	8.6 प्रतिशत
आंध्रप्रदेश	8.5 प्रतिशत
पं.बंगाल	7.5 प्रतिशत

(स्त्रोत - नेशनल सैंपल सर्वे आर्गेनायजेशन)

3) कम वजन के बच्चे

मिझोरम	19.9 प्रतिशत
गुजरात, मेघालय	40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत
छत्तीसगढ, उत्तरप्रदेश, उडिसा	40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत
बिहार	55.9 प्रतिशत
झारखंड	56.5 प्रतिशत
मध्यप्रदेश	60 प्रतिशत

(स्त्रोत - चिल्ड्रेन इन इंडिया 2012)

4) विदेशी निवेश (अप्रैल 2000 से जून 2012)

महाराष्ट्र	2,54,624 करोड
दिल्ली	1,55,222 करोड
कर्नाटक	45,071 करोड
तामिलनाडू	40,297 करोड
गुजरात	36,913 करोड

(स्त्रोत - भारतीय रिजर्व बैंक)

5) गुजरात से निर्मित निवेश (करोडों मे)

वर्ष	आश्वासन	वास्तविक
2003	66.068	37,746
2005	1,06,160	37,939
2007	4,65,309	1,07,897
2009	12,39,562	1,04,590
2011	20,83,047	29,813

(स्त्रोत - सोशीयो इकानामिक रिव्युव गुजरात 2011-12)

6) गुजरात औसत मजदूरी के मामले में देश मे 14 वे स्थान पर है।

7) सर्वाधिक महंगाई के मामले मे गुजरात भारत मे 8 वे स्थान पर हैं।

8) 2012 में युनिसेफ द्वारा तयार की गई रिपोर्ट के अनुसार गुजरात मे पांच साल से कम उम्र का हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है और हर चार मे से 3

बच्चे एनिमिया के शिकार है। हर 3 मे से 1 माता कुपोषण की शिकार है।

9) बाल विवाह के मामले में से गुजरात भारत में चौथे स्थान पर हैं।

10) यूएनडीपी के अनुसार बच्चे स्कुल न छोडने मे कामयाब राज्यों मे गुजरात 18 वे स्थान पर हैं।

11) भारत में सर्वाधिक प्रदुषित 88 क्षेत्रों मे से 8 क्षेत्र अकेले गुजरात में हैं।

गुजरात मे चौमुखी विकास की बात कितनी खोखली है यह उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उजागर होती है। वास्तविकता यह है कि गुजरात मे मानव विकास तथा प्राकृतिक संतुलन को पुरी तरह नजरअंदाज किया गया है। गुजरात सरकारने केवल पूंजीपतीयों की पूंजी बढाई है और यही पूंजीपती अपने फायदे के लिए अपना धन खर्च कर मोदी को विकास पुरुष के रुप में प्रचारित कर रहे हैं।

झुठ को बार-बार प्रचारित करने से लोग उसे सच मानने लग जाते हैं। उसी प्रकार भारत की जनता मोदी के झुठ को सच मानने लगी। प्रसार माध्यम और हिन्दूवादी नेताओं की इसमे अहम भूमिका रही है। बात यहां तक पहुंच गई है कि मोदी को भावी प्रधानमंत्री के रुप मे देखा जा रहा है। भारत मे हर कोई पूंजीपतियों का खिलौना बन चुका है। एनडीए के प्रमुख शरद यादव ने यह कबुल किया कि भारत के कुछ उद्योगपतीयों द्वारा इसे बडे योजनाबद्ध तरीके से बढाया जा रहा है। मुठ्ठीभर लोग जीवनभर मौज उडाते रहते है और बहुसंख्यक लोग अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जीवनभर संघर्ष करते रहते है। यही सिलसिला पिढी दर पिढी चल रहा है। अपने जीवन संघर्ष का थोडासा समय इर पर विचार करने के लिए लगाना होगा सत्य और असत्य को जानना होगा। सम्यक दृष्टे पैदा करनी होगी। विषमता की जड हिन्दू धर्म को त्यागना होगा और बुद्ध की समता की शिक्षा को स्वीकार करना होगा तभी इस देश के बहुसंख्यक लोगों के जीवन में क्रांति होगी और उनका कल्याण होगा। यदि इसे अब न कर सके तो भविष्य में आने वाले दुःख के जिम्मेदार हम स्वयं होंगे।

◗ आशीष नंदी का जातिवादी मानसिकता :

समाजशास्त्री आशीष नंदी द्वारा अनुसुचित जाति अनुसुचित जनजाति और पिछडा वर्ग के लोग सर्वाधिक भ्रष्ट है ऐसा कहकर न केवल इन वर्गो के लोगों को अपमानित किया बल्कि, उन्होंने भारत देश के हिन्दुओं की इन वर्गो के प्रति सोच को भी जाहीर किया। असत्य पर आधारित और मानवता विरोधी हिन्दु धर्म की शिक्षा की जडें हिन्दुओं मे इतनी गहरी है कि चाहे वें सर्व साधारण आदमी हो या विद्वान हो उसमे प्रज्ञा जागृत हुई नहीं, वह सत्य को स्विकार नही पाया, उसके मन का मैल दूर नही हुआ और अपनी बुद्धी का उपयोग मानवता के विरोध मे कर रहा है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आशीष नंदी है।

26 जनवरी 2013 को जयपुर साहित्य समारोह के अवसर पर आशीष नंदी ने अनु. जाति, अनु. जनजाति और पिछडा वर्ग के लोगों को सर्वाधिक भ्रष्ट कहा था। भारत आजाद होने के बाद शासन प्रशासन और व्यापार में ब्राम्हण क्षत्रीय और वैश्य लोगों का वर्चस्व रहा है और आज भी है। इन्ही क्षेत्रों मे भ्रष्टाचार सर्वाधिक है इससे स्पष्ट है कि सर्वाधिक भ्रष्टाचारी लोग ब्राम्हण, क्षत्रीय और वैश्य वर्ग है। अनु.जाति, अनु.जनजाती और पिछडा वर्ग के लोग शिक्षा लेकर कुछ राजनिती में, नौकरीयों मे और व्यापार मे आये है परंतु उनकी संख्या तथाकथित उच्चवर्ण के लोगों की संख्या की तुलना में अत्यल्प है। वें आज भी हर क्षेत्र मे उपेक्षित है। उनकी संख्या अधिक होने के बावजुद वें उच्च वर्गो के नजदीक तो छोडीए परंतु उनके बिच की दुरी भी कम नही हुई है। इन वर्गो के बहुसंख्य लोग शिक्षा से वंचित है गरिबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाले लोगों मे सर्वाधिक लोग इन्हीं वर्गो मे से है। मूलभूत नागरिक सुविधाओं से वंचित यही लोग है। स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित यही लोग है। जीवन मे आवश्यक हर चींज से यें लोग वंचित है. बाबासाहेब के प्रयासों से प्राप्त सुविधाओं का लाभ लेकर कुछ लोगों ने अपनी स्थिति थोडीसी सुधारी है परंतु हिन्दु मानसिकतावादी लोगों को यह अच्छा नही लगता इसलिए अनु.जाति/अनु.जनजाती के लोग अत्याचार के शिकार बनाये जाते है। और उन्हें बर्बाद किया जाता है। भारत के हर क्षेत्र मे अनु. जाति और अनु. जनजाति के लोगों की बर्बादी के असंख्य उदाहरण है - कुछ प्रकाशित है और कुछ अप्रकाशित है, कुछ प्रत्यक्ष है और कुछ अप्रत्यक्ष है। भारत मे अनु. जाति, अनु. जनजाती और पिछडा वर्ग की सत्यस्थिति का अवलोकन करे तो यही ज्ञात होता है कि भ्रष्टाचार के शिकार तो यही लोग है।

हिन्दु धर्म की शिक्षा यह है कि आदमी के इस जन्म की

स्थिति का कारण उसके पुर्वजन्म के कर्म है, यह कहकर शुद्रों को ही अपनी बुरी स्थिति के लिए जिम्मेदार बताया गया था जबकी हिन्दु धर्म की वर्ण व्यवस्था शुद्रों की दासता का कारण थी। अपना दोष छुपाने के लिए पिड़ीत को ही दोषी बना दो, यह हिन्दुवादीयों की परंपरा और साजिश है। बहुसंख्यक लोगों को मुर्ख बनाकर अल्पसंख्यक लोग मौज करते रहे और पिड़ीत लोग दोषीयों के विरुद्ध विद्रोह न कर सके, इसलिए यह साजिश है। संक्षिप्त मे यह कहा जा सकता है कि हिन्दू व्यवस्था अबाधित जारी रखने की यह साजिश है। आशीष नंदी तो इस साजिश का बहुतही छोटा सा हिस्सा है।

अनु.जाति, अनु.जनजाती और पिछडा वर्ग के बहुसंख्यक लोग हिन्दु धर्म के समर्थक है। वें अपनी बर्बादी के ही समर्थक बने हुये है। उन्होंने अपनी बुद्धी का उपयोग कर सत्य को जानना चाहिए। उनको बर्बाद करने वालों के वें कैसे समर्थक बने हुए है, इसे समझना चाहिए। जिससे उनका अहित होता है उसे त्याग देना चाहिए। उन पर हो रहे अन्याय के विरोध मे लडना चाहिए और उनके कल्याण का मार्ग बुद्ध धम्म का मार्ग अपनाना चाहिए।

◗ सवर्णो द्वारा आंध्रप्रदेश मे 5 दलितों की हत्या और 19 दलित घायल

आंध्रप्रदेश के लक्ष्मीपेट गांव में 80 परिवार माला समुदाय (दलित) के और 120 परिवार तुरयु कापू समुदाय (पिछडा वर्ग) के लोग रहते थे। माला समुदाय के लोग अधिकतर खेतीहर मजदूर थे और कापू समुदाय के लोग अधिकतर खेती मालीक थे। माला समुदाय के पास लगभग 60 एकड खेती की भूमी थी। और कापू समुदाय के पास 190 एकड खेती की भूमि थी। माला समुदाय के 60 एकड खेती भूमी पर कापू समुदाय के लोगों मे अक्सर झडपे होती रहती थी। मालाओं ने राजस्व मंडल अधिकारी के पास इस संबंध में शिकायत की थी। राजस्व मंडल अधिकारी ने आपसी समझौता कराया था आर मालाओं द्वारा जमीन जोतने हेतु कापू राजी हो गये थे। परंतु इस जमीन को लेकर दोनों समुदायों के बीच झगडे होते ही रहते थे। इसी बीच उस गांव की सरपंच एक दलित महिला चित्तीरी सिंहलम्मा चुनी गई। दलितों ने आरक्षण का फायदा लेकर वें नौकरीयां करने लगें। जातिद्वेष के कारण कापू समुदाय के लोग दलितों की प्रगती को हजम नही कर पाये। इसलिए 12 जून की सुबह कापू समुदाय के पुरुष, महिला और बच्चे बडी तादाद मे हथियारो के साथ योजनाबद्ध तरिके से इकठ्ठा हो गये और माला समुदाय की बस्ती पर हमला बोल दिया। इस हमले मे 5 दलितों की हत्या की गई और 19 दलितों को बुरी तरह घायल किया गया। हमेशा की तरह यहा पर भी पुलिस निष्क्रीय ही बनी रही क्यों कि घटना के चार घंटे बाद पुलीस घटनास्थल पर पहुंची। दिलचस्प बात यह थी कि जिसप्रकार खैरलांजी हत्याकांड के वक्त सभी स्थानिय अधिकारी हरिजन थे उसी प्रकार लक्ष्मीपेठ के स्थानिय सभी अधिकारी भी हरिजन ही थे। इस देश में जबतक लोग हिन्दू धर्म से ग्रसित रहेंगे तब तक ऐसा ही खुन खराबा होते रहेगा। क्योंकि हिन्दु व्यवस्था का आधार ही जातिव्यवस्था है और जब तक जातिव्यवस्था है तब तक जातिद्वेष रहेगा ही।

◗ भारत सरकार जनता के स्वास्थ्य के प्रति उदासिन :

कुछ तथ्य -

1. संसार के सभी विकसित, अर्धविकसित देश सार्वजनिक स्वास्थ्य की योजनाओं मे अग्रसर है, परंतु भारत ठीक इसके विपरित दिशा में अग्रसर है। भारत मे 80 प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा निजी क्षेत्रों मे उपलब्ध है। वर्तमान आंकडो के अनुसार निजि अस्पतालों मे उपचार कराने के कारण 3 करोड 90 लाख लोग गरीब हुये है। 1993-94 में यह आंकड़ा 2 करोड 60 लाख था।

2. डॉक्टर और जनता का अनुपात भारत में 0.5:1000 है जबकि चिनमे 1.6:1000, इंग्लैड मे 5.4:1000 और अमेरिका मे 5.5:1000 है।

3. भारत में 10,000 लोगों के लिए केवल 6 डॉक्टर और 13 नर्स उपलब्ध है।

4. अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में 190 देशो में भारत का 112 वा क्रमांक है।

5. भारत की 70 प्रतिशत जनता ग्रामिण क्षेत्र में रहती है जहां केवल 2 प्रतिशत एलोपॅथी के डॉक्टर है. इसलिए ग्रामिण जनता जडी बुटी का इस्तेमाल करती है और ग्रामिण चिकित्सकों पर निर्भर रहती है।

6. डॉक्टर और नर्सो के अलावा 65 लाख स्वास्थ्य कर्मियो की भारत मे कमी है।

7. भारत मे हर वर्ष 60,000 से 1,00,000 बच्चों की मौत चेचक की बिमारी से होती है जबकी इस बिमारी का इलाज

किया जा सकता है।

8. भारत में अकाल मृत्यू का कारण मुख्यतः 3 बिमारीया है -मलेरिया, क्षयरोग (टी.बी.) और अतिसार है जबकी इन बिमारीयों का इलाज किया जा सकता है।

9. भारत की 49 प्रतिशत गर्भवती महिलायें डॉक्टर से 3 बार आवश्यक जांच नही करवाती।

10. 56 प्रतिशत नवजात शिशुओं की मौत उत्तरप्रदेश राजस्थान, मध्यप्रदेश, उडीसा और आंध्रप्रदेश मे होती है। अर्थात इन राज्यों में उचित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नही है।

11. उत्तर प्रदेश जैसे अधीकतम आबादी के राज्य में एक भी स्पेशालिटी कॅन्सर हॉस्पीटल नही है।

◗ इंग्लैंड की संसद में जातिभेद निर्मुलन विधेयक पारित :

इंग्लैंड मे लगभग 4 लाख 80 हजार दलित रहते है। उनके साथ जातिभेद के कारण शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं के क्षेत्र में भेदभाव किया जाता है. इस भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से इंग्लैंड की संसद के हाऊस ऑफ लॉर्डस में विधेयक रखा गया और उसे मंजुर कर लिया गया। विधेयक के समर्थन मे 256 वोट मिले तथा विरोध में 153 वोट थे। अब यह विधेयक हाऊस ऑफ कॉमन्स मे रखा जायेगा और उसके बाद इंग्लैंड मे जाति भेद समाप्त करने हेतु कानून बनेगा। इस विधेयक को संसद में रखने के पूर्व इंग्लैड की सरकार केवल शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाना चाहती थी। यह विधेयक पारित होने के बाद अब संवैधानिक सुधार किये जायेगें।

समता की पक्षधर इंग्लैंड की सरकार जातिभेद निर्मुलन के लिए कडे कदम उठा रही है परंतु जहां बडे पैमाने पर हर क्षेत्र मे जातीभेद है वहां की भारत सरकार कोई भी कडा कदम नही उठा पा रही है यह बडे शर्म की बात है। हमें याद है कि सन 2001 मे वंशभेद पर हुये डरबन कान्फरेंस मे भारत सरकार ने जातीभेद और वंशभेद अलग-अलग है इस प्रकार की भूमिका ली थी जबकि दोनों समान है। इससे भारत सरकार की नियत का पता चल चुका था। आज भी वही नियत है , दलितों के हित मे केवल बातें कर उन्हें फंसाया जाता है। हमें यह भी याद है कि, इंग्लैंड की सरकार द्वारा जातिभेद को वंशभेद का रुप माना था और 24 मार्च 2010 को समानता विधेयक पारित किया गया था। अब जब हाऊस ऑफ लॉर्डस मे विधेयक रखा गया था तब इंग्लैंड के लगभग 400 दलितो ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया था। क्या भारत मे विषमतावादी व्यवस्था से पिडित लोग (दलित, पिछडा वर्ग और अल्पसंख्यक) संगठीत होकर समता प्रस्थापित करने हेतु कडे कदम उठाने के लिए भारत सरकार को मजबुर करेंगे ?

◗ महाराष्ट्र में दलित मानवाधिकार कार्यकर्ता की हत्या :

महाराष्ट्र के इंदापुर में चंद्रकांत गायकवाड नामक दलित मानवाधिकार कार्यकर्ता की सत्यपाल रुपनवर इस जातिवादी सवर्ण ने दिनदहाडे हत्या कर दी। चन्द्रकांत गायकवाड द्वारा आरोपी सत्यपाल रुपनवर के विरुद्ध ॲट्रासिटी एक्ट के तहत प्रकरण दाखील करवाने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रुपनवर आपराधिक प्रवृत्ती का जातिवादी था. उसे 2 प्रकरणों मे सजा हुई थी। एक प्रकरण मे वह जमानत पर छुटकर आया था तब उसने चंद्रकांत गयाकवाड, वैभव गीते और दादा जाधव इन तिन कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकी दी थी। इन कार्यकर्ताओं ने अपराधी के विरुद्ध पुलिस थाने मे रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी परंतु उनकी रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई और अपराधियों का साथ दिया गया। नतिजा यह हुआ की अपराधी सत्यपाल रुपनवर ने चंद्रकांत गायकवाड की हत्या कर दी। यदि पुलिस अपना कर्तव्य निभाती तो शायद यह हत्या नही हुई होती। परंतु सामान्यतः अनुभव यही है कि जिन्हें रक्षक समझा जाता है वें ही भक्षक बने हुये है। इन भक्षकों के हौसले बुलंद है। महाराष्ट्र मे जब जब दलितों की हत्या हुई है तब-तब दलितों को न्याय नही मिला है. क्योंकि यहां की सरकार अपराधियों को सजा दिलवाने मे नही, उसे बचाने मे अपनी ताकत लगाती है।

◗ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के जिले मे दलित असुरक्षित

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के सातारा जिले की मान तहसिल मे एक नवविवाहित दलित दम्पत्ति पर सवर्णो ने जानलेवा हमला किया. नवविवाहित वैभव अपनी पत्नी मोहीनी के साथ मोटर सायकल से जा रहे थे। तभी, अचानक जातिवादी सवर्णो ने एक घाटी के पास रोककर उनपर जानलेवा हमला किया और मारपिट करने के बाद खाई मे ढकेल दिया। मोहीनी ने जब चिल्लाना शुरु किया तब आसपास के लोग इकठ्ठा हुये तब उन्हें खाई से निकाला गया

और उनकी जान बच सकी।

इस घटना के पूर्व वैभव के चाचा की इन्हीं सवर्णो ने हत्या की थी। उस हत्याकांड में वैभव एकमात्र गवाह था इसलिए उसे समाप्त करने की यह योजना थी। वैभव के चाचा ने सरकारी अनुदान लेकर अपने गांव में कुंआ खोदना शुरु किया था। जातीद्वेष के कारण सवर्ण नही चाहते थे कि गांव में दलित का स्वयं का कुंआ बने। इसलिए उन्होंने वैभव के चाचा की हत्या कर दी थी। वह कुंआ अब तक नही बन पाया। आरोपी स्थानिय विधायक के रिश्तेदार है इसलिए पुलिस निष्क्रीय है। राजनितिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण अपराधीयों पर कार्यवाही नही होती इसलिए उनके हौसले बुलंद हुए है। अपराधीयों को राजनितीक संरक्षण प्राप्त होना दलितों पर बढरहे अत्याचार का बहुत बडा कारण है। जब अपराधियों को राजनितिक संरक्षण प्राप्त हो तब दलितों को न्याय नही मिल सकता। केवल महाराष्ट्र ही नही संपुर्ण देश में दलितों पर अत्याचार करने वाले अपराधीयों को राजनितीक संरक्षण प्राप्त है। इसलिए दलितों ने संगठीत रुप से स्वयं के बल पर प्रतिकार करने की आवश्यकता है ताकि जातिवादी सवर्ण दलितों पर अत्याचार न कर सकें।

◗ कर्नल पुरोहीत को पुरा वेतन दिया जा रहा है :

सितंबर 2008 में हुये मालेगाव बमकांड के हिन्दुत्ववादी आरोपी कर्नल पुरोहित को नवंबर 2008 मे हिरासत मे लेकर जेल भेज दिया गया था। तब से अब तक वह जेल मे ही है. परंतु उसे सेना से पुरा वेतन दिया जा रहा है। यह जानकारी एक अन्य हिन्दुत्ववादी आरोपी मेजर रमेश उपाध्याय को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रिंसीपल कंट्रोलर डिफेन्स अकाउंट, पुणे द्वारा दी है। इससे यह संदेह होना स्वाभाविक है कि, इस देश में हिन्दुत्व आतंकवादी के प्रकरण मे नियम कानुन ताक मे रखकर विशेष सुविधा दी जाती है जो अन्य को नही मिलती।

◗ केन्द्र सरकार पूंजीपतियों की हितचिंतक :

वर्तमान केन्द्र सरकार पूंजीपतियों के हित मे काम कर रही है. यह उसकी कार्यशैली सबको विदीत है। इसलिए भारत के पूंजीपतीयों की पूंजी बडी तेजी से बढरही है। यही नही, यदि पूंजीपतियों की कोई गडबडी सामने आती है तो उनका संरक्षण भी सरकार ही करती है। दुसरी ओर आम जनता को मुर्ख बनाकर उनका शोषण किया जा रहा है। यही कारण है कि गरिब और अमीर के बीच की खाई बढरही है। भारत के अकाउंटंट जनरल विनोद राय ने हार्वर्ड कॅनेडी स्कुल मे यह कहा कि भारत की सरकार पूंजीपतियों की हितचिंतक है। उन्होंने यह कहकर भारत की पूंजीवादी समर्थक निती पर मुहर लगा दी है।

◗ संसार के अमीरों मे भारत के मुकेश अंबानी 18 वे क्रमांक पर :

ब्लुमबर्ग बिलीयनर्स इन्डेक्स के अनुसार संसार के सबसे धनी 100 लोगों की सुची में मुकेश अंबानी का क्रमांक 18 वा है। मुकेश अंबानी की सन 2012 मे निजी संपत्ती 24.7 बिलीयन अमेरिकन डॉलर थी। इस सुची में मेक्सीको के संचार क्षेत्र के उद्योगपती कार्लोस स्लीम प्रथम क्रमांक पर है जिनकी निजी संपत्ती 2012 में 70 बिलीयन डॉलर थी। इन अमीरों की संपत्ती मे लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले 6 वर्षो से मुकेश अंबानी का नाम इस सुची में है और वह 19 वे क्रमांक से 18 वे क्रमांक पर आये है।

जिस प्रकार सामाजिक क्षेत्र में भारत के मुठ्ठीभर लोग सभी सुविधाओं का उपभोग कर रहे है उसी प्रकार मुठ्ठीभर लोगों के पास अमाप संपत्ती है। दुसरी और बहुसख्यांक लोग अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जीवनभर संघर्ष करते रहते है। भारत मे करोडो लोग ऐसे भी है जिन्हें दो वक्त का खाना नही मिल पाता।

◗ सुनिल जोशी हत्याकांड मे आरएसएस कार्यकर्ता गिरफ्तार :

मालेगांव और समझौता एक्सप्रेस बमकांड के मास्टरमाइंड हिन्दुत्व आतंकवादी सुनिल जोशी की हत्या की गई थी। इस हत्या की जांच कर रही एजेंसी एनआईए ने इंदौर के पास सांवेर तहसिल के चंदवतीगंज क्षेत्र से आरएसएस कार्यकर्ता को गिरप्तार कर लिया है। इसी प्रकार इंदौर से बलबीर नामक व्यक्ती को भी गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए की टीम ने इस व्यक्ती से एक 9 एम.एम. पिस्तौल बरामद की है। जिसे फारेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। इसीप्रकार की पिस्तौल की गोली से सुनिल जोशी की हत्या की गई थी।

एनआईए को संदेह है कि सुनिल जोशी न्यायालय मे हाजिर होकर सभी राज खोल न दे इसलिए उसकी हत्या की

गई थी. उसके द्वारा राज खोलने से और भी हिन्दुत्ववादी बेनकाब हो सकते थे।

◗ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर और महात्मा फुले के साहित्य तैयार करने हेतु कर्मचारियों का अभाव :

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तथा महात्मा फुले का कुछ साहित्य महाराष्ट्र सरकारने प्रकाशित किया। परंतु पिछले कुछ वर्षो से यह साहित्य प्रकाशित नही हो रहा है। इस संबंध में महाराष्ट्र के उच्च शिक्षामंत्री राजेश टोपे की अध्यक्षता में हुई बैठक मे यह तथ्य सामने आया कि, मुद्रण शोधक, संपादन सहायक, संशोधन सहायक इत्यादि आवश्यक कर्मचारी ही नही है। उसी प्रकार इस प्रकाशन कार्य के लिए उपलब्ध कर्मचारियों मे से 60 प्रतिशत कर्मचारी अन्य विभागों में ट्रान्सफर किये जा चुके है। इस शासकीय और प्रशासकीय लापरवाही के कारण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तथा महात्मा फुले का साहित्य प्रकाशित नही हो रहा है।

◗ भारत की उच्च शिक्षा स्तरहीन

वर्ष 2011-12 मे उच्च शिक्षा के लिए सकल प्रवेश का प्रमाण 17.9 प्रतिशत है जबकी अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण 26 प्रतिशत है। इस प्रकार अन्य देशों की तुलना में भारत मे उच्च शिक्षा लेने वालो की कमी है। भारत में 44 केन्द्रीय विश्वविद्यालय है जो 2004-05 मे केवल 17 थे। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या तो बढगई है परंतु शिक्षा का स्तर नही बढा है। अन्य देशों की शिक्षा पद्धति मे समयानुरुप जो बदलाव किये जाते है और विकास की दृष्टी से जो शिक्षा दी जानी चाहिए वह नही दी जाती है। संसार मे जो अनुसंधान हो रहे है उनके आधार पर शिक्षा विकास की दृष्टी से लोकोपयोगी हो इसलिए उच्च शिक्षा की प्रणाली मे बदलाव लाना जरुरी है, जो भारत के विश्वविद्यालयों द्वारा नही किये जाते। इसलिए भारत का एक भी विश्वविद्यालय संसार के 200 अच्छे विश्वविद्यालयों की सूचि में नही है। इसके लिए पिछले दिनो हुई केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कान्स्फरेन्स मे प्रधानमंत्री ने खेद व्यक्त किया।

हिन्दु धर्म जडत्व की शिक्षा देता है, परिवर्तन की नही। भारत में उच्च शिक्षा को संचालित करने वाले हिन्दु धर्म के मानने वाले है। इसलिए वह परिवर्तन नही चाहते। जब तक यह मानसिकता नही बदलेगी तब तक भारत मे उच्चशिक्षा का स्तर उंचा नही हो सकता।

◗ सरकारी शालाओं में तेजी से गिरता शैक्षणिक स्तर :

भारत की 70 प्रतिशत जनता ग्रामिण क्षेत्र में रहती है। 'प्रथम' नामक स्वयंसेवी संस्था द्वारा भारत मे 567 जिले के ग्रामिण क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों के 3 से 16 वर्ष उम्र के लगभग 6 लाख बच्चों का सर्वेक्षण किया और पाया कि बच्चों मे पढाई का स्तर 50.7 प्रतिशत (वर्ष 2010) से 41.7 प्रतिशत (वर्ष 2012) तक गिर गया है। पढने के स्तर के साथ-साथ अंक गणित हल करने का स्तर भी घट गया है। पहले 70.9 प्रतिशत बच्चे सादा दो अंको को घटाने का प्रश्न हल कर पाते थे वह अब घट कर 53.5 प्रतिशत पर पहुंच गया है। अर्थात पहले 10 मे से 7 बच्चे दो अंको का सादा गणित हल कर पाते थे परंतु अब केवल 5 बच्चें ही हल कर पा रहे है। पांचवी कक्षा के अधिकतर बच्चों के पढाई का स्तर दुसरी कक्षा के बच्चों के स्तर के बराबर है, अर्थात आज सरकारी स्कुल के अधिकतर बच्चे 3 कक्षा पिछे है।

सरकारी विद्यालयों में कमजोर पढाई को देखते हुये ग्रामिण क्षेत्र के पालक भी अपने बच्चों को निजी विद्यालयों मे पढाना चाहते है। पिछले 6 वर्षों में ग्रामिण क्षेत्र के निजी स्कूलों मे विद्यार्थियों की संख्या 10 प्रतिशत बढगई है। शिक्षा के वार्षिक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 6 से 14 वर्ष उम्र के बच्चों का निजी स्कूलों में प्रवेश वर्ष 2006 मे 18.7 प्रतिशत था जो 2012 मे 28.3 प्रतिशत हो गया। निजी स्कूल भी पिछले 3 वर्षो में 10 प्रतिशत से बढगये है। यदि यही हाल रहा तो सन 2018 तक 50 प्रतिशत बच्चे निजी विद्यालयों मे पढने लगेंगे। वास्तविकता यह है कि अब भी केरल और मनिपूर राज्यों में 60 प्रतिशत से अधिक तथा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, गोवा तथा मेघालय में 40 प्रतिशत से अधिक बच्चे निजी विद्यालयों मे पढरहे है। जहां तक टयुशन की बात है कक्षा पहली से आठवी तक के 45 प्रतिशत बच्चे टयुशन लेते है।

सरकारी विद्यालयों मे शिक्षा के घटते स्तर के कारण सबसे बडा नुकसान गरिब और कमजोर वर्ग के बच्चों का हो रहा है। उनके भविष्य के साथ खिलवाड हो रहा है। क्योंकि इसी वर्ग के बच्चे सरकारी स्कुलों में पढते है। शिक्षा की इस स्थिति को देखते हुये यह लगता है कि सरकार इस वर्ग के लोगों का विकास नही चाहती, उन्हें और पिछे ढकेलना चाहती है। यदि सरकार इन वर्गो का विकास करना चाहती तो सरकारी स्कुलों मे शिक्षा का स्तर निजी स्कुलों से अच्छा बनाने के लिए कारगर कदम उठाती।

◗ भारत मे प्रतिवर्ष 210 लाख टन अनाज सडता है :

इन्स्टीटयुशन आफ मेकानिकल इंजिनियर्स द्वारा ग्लोबल फुड स्टोरेज पर बनाई गई रिपोर्ट में कहा है कि भारत मे प्रतिवर्ष 210 लाख टन अनाज सड जाता है। जो आस्ट्रेलिया के सकल उत्पादन के बराबर है। यह अनाज इसलिए सडता है क्यों कि उसे रखने की और वितरण की उचित व्यवस्था नही है।

इसी प्रकार भारत में 40 प्रतिशत फल और सब्जियां उत्पादक और ग्राहक के बिच में ही खराब हो जाती है। अर्थात उत्पादन के बाद 40 प्रतिशत फल और सब्जीयां ग्राहक तक पहुंचती ही नही है। इसका कारण रेफ्रीजरेटेड ट्रान्सपोर्ट की असुविधा, खराब रोड, खराब मौसम और भ्रष्टाचार है।

◗ दवाओं के परिक्षण से 2061 लोगों की मौत :

मध्यप्रदेश के इन्दौर स्थित डॉ.आनंद राय ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत यह जानकारी प्राप्त की कि, पिछले 4 वर्षों मे दवाओं परिक्षण के कारण भारत में 2061 लोगों की मृत्यु हुई है और 11870 लोग हमेशा के लिए अपंग हो गये है।

दवा निर्माता कंपनियां दवा बनाने के बाद उनकी उपयोगिता का परिक्षण कराती है। यह परिक्षण आदमी पर किया जाता है। इस परिक्षण के कारण जिन राज्यों मे जाने गई है उनकी स्थिति निम्नानुसार है।

महाराष्ट्र	-	268
आंध्रप्रदेश	-	153
दिल्ली	-	97
गुजरात	-	87
कर्नाटक	-	78
केरल	-	42
तामिलनाडू	-	46

वर्षवार स्थिति इस प्रकार है -

2007	-	130
2008	-	288
2009	-	637
2010	-	668
2011	-	438
2012 (जनवरी तक)	-	30

इस दवा परिक्षण के शिकार पैसों के लिए गरिब और कमजोर वर्ग के लोग ही होते है।

◗ मनरेगा मजदुरों की मजदुरी बढाई गई :

लोकसभा मे ग्रामिण विकास मंत्री जयराम रमेश ने 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक के लिए दी जाने वाली मनरेगा के तहत मजदुरी के दर निम्नानुसार बढ़ायें है।

बिहार	-	138 रुपये
मध्यप्रदेश	-	146 रुपये
गुजरात	-	147 रुपये
महाराष्ट्र	-	162 रुपये

सबसे कम मजदुरी 135 रुपये सिक्कीम, नागालँड अरुणाचल प्रदेश मे होगी।

◗ केन्द्र सरकार में सचिव, अति. सचिव और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी

कम्युनिष्ठ पार्टी के नेता डी. राजा द्वारा संसद मे दी गई जानकारी -

	कुल	अ.जा.	अ.जा.	अन्य पिछडा वर्ग	अन्य
सचिव	102	-	2	-	100
अतिरिक्त सचिव	113	5	1	-	107
सचिव के समकक्ष अधिकारी	434	32	14	1	387

◗ बलात्कार और विनयभंग के बहुत कम अपराधियों को सजा

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड शाखा (NCRB) द्वारा बलात्कार तथा उसके अपराधीयों को हुई सजा के जारी किये गये आंकडे निम्नानुसार है -

वर्ष	बलात्कार	सजा
2009	21,397	5,316
2010	22,172	5,632
2011	24,206	5,724

उपरोक्तानुसार भारत मे बलात्कार के मामलों मे बहुत

कम अपराधीयों को सजा होती है। मध्यप्रदेश मे 2009 से 2011 के बिच सर्वाधिक 9529 बलात्कार के मामले दर्ज किये गए जिनमे से केवल 2986 अपराधियों को सजा हुई है।

बलात्कार के अलावा देश में विनयभंग के 122293 मामले इस अवधी में दर्ज किये गये जिनमे केवल 27408 अपराधीयों को सजा हुई है। इसी अवधी मे मध्यप्रदेश मे 16618 विनयभंग के मामले दर्ज किये गये जिनमे केवल 6091 अपराधीयों को सजा हुई है।

◗ आरएसएस के सरसंघचालक कहते है - बलात्कार इंडिया में होते है भारत मे नही

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने आसाम की एक सभा मे कहां कि, बलात्कार इंडिया मे होते है भारत मे नही होते है। उनका यह कहते का तात्पर्य था कि बलात्कार शहरों में होते है, ग्रामिण भाग मे नही होते। एक साधारण आदमी भी उनकी इस बात को इन्कार करेगा। वास्तविकता यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में दलित और आदिवासी महिलाओं पर बलात्कार अधिक होते है। हिन्दुत्व की काली पट्टी आंखो पर लगाये हुये मोहन भागवत को यह बलात्कार नजर नही आ सकते। ग्रामिण क्षेत्र में हिंदुत्ववादी ही जातिद्वेष के कारण दलित और आदिवासी महिलाओं पर बलात्कार करते है। ऐसी अनेक घटनायें मिडिया के माध्यम से प्रसारित हुई है। मोहन भागवत ने इस प्रकार का झुठा वक्तव्य हिन्दुओं के पाप पर पर्दा डालने के हेतु से किया है।

मध्यप्रदेश के भाजपा नेता विजयवर्गीय ने भी अपना अफलातून बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने लक्ष्मण रेखा पार नही करनी चाहिए। लक्ष्मणरेखा केवल सिता के लिए नही है, किसी भी महिला ने लक्ष्मण रेखा पार कर ली तो उसे रावण का सामना करना पडेगा। इस प्रकार का बयान देकर उन्होंने महिलाओं की आजादी को नकारा है।

महिलाओं की आजादी पर कुठाराघात करने वाला बयान फिर मोहन भागवत ने किया। उन्होंने कहां कि मलिाओं ने केवल घर संभालना चाहीए। उनके अनुसार शादी यह एक करार है जिसके अनुसार पत्नी को केवल घर संभालना होता है। जब यह करार टूट जाता है पती पत्नी को छोड देता है।

◗ बलात्कार के बदले मे 50 हजार रुपये- जाति पंचायत का फैसला

प्रतापगढ जिले के मौली ग्राम मे रहने वाली 13 साल की लडकी के साथ उसी के गांव के लडके ने अपने गांव मे बलात्कार किया। बाद मे उसका बंदुक की नोक पर अपहरण किया और महाराष्ट्र के नागपुर शहर मे लाया। नागपुर मे उस लडके ने लडकी से लगातार एक हप्ते तक बलात्कार किया। लडकी ने किसी तरह उससे छुटकारा पाकर वह अपने गांव लौट गई। उसने अपनी आपबिती जाती पंचायत के सामने रखी तब जाति पंचायत ने फैसला लिया कि, लडके के परिवार वाले लडकी के परिवार वालों को 50 हजार रुपये का जुर्माना दे। इस फैसले से यह साबित होता है कि कोई भी किसी की इज्जत लुट सकता है, उसे केवल जाति पंचायत ने तय किया हुआ जुर्माना देना होगा। हिन्दु धर्म के अनुसार महिलाओं को हीन माना जाता है। उनकी इज्जत लुटी जा सकती है बशर्ते बदले मे पैसा देना होगा, यह इन जाति पंचायतों का अप्रत्यक्ष फरमान प्रतित होता है।

धन्य है वे जो अनुभव करते है कि, जिन लोगों में हमारा जन्म हुआ है उनका उद्धार करना हमारा कर्तव्य है। धन्य है जो गुलामी को समाप्त करने के लिए सब कुछ न्योछावर करते है। धन्य है वे जो सुख और दुःख, मान और सम्मान, कष्ट और कठीनाईयाँ, आंधी और तुफान की परवाह किये बिना तब तक संघर्ष करते है जब तक अस्पृश्यों को उनके मानवीय जन्मसिद्ध अधिकार नहीं मिलते।

- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

केन्द्रीय आम बजट- 2013

दिनांक 28 फरवरी 2013 को वित्तमंत्री पी.चिदम्बरम द्वारा वर्ष 2013-14 के लिए बजट प्रस्तुत किया। इस बजट की प्रमुख बातें इस प्रकार है।

राजस्व प्राप्ती	10,56,331 करोड
पूंजीगत प्राप्ती	6,08,967 करोड
कुल प्राप्ती	16,65,297 करोड
योजना खर्च	5,53,322 करोड
गैरयोजना खर्च	11,09,975 करोड
कुल खर्च	16,65,297 करोड

पूर्व वित्तिय वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी अधिकतम आयकर 30 प्रतिशत ही रखा गया है, जो पूंजीपतियों के हित मे है। 1 करोड से अधिक आय वालों को कर पर 10 प्रतिशत अधिभार लगेगा जो राजस्व प्राप्ती का नगण्य हिस्सा होगा। परंतु यदि अधिकतम कर 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक बढाया जाता तो लाखो करोडो रुपये की राजस्व प्राप्ती होती।

योजना खर्च विकास कार्य तथा अन्य जनकल्याण की योजनाओं पर खर्च किया जायेगा तथा गैर योजना खर्च विदेशी कर्ज चुकाना, कर्मचारी वेतन और अन्य स्थायी खर्चो पर किया जायेगा। योजना खर्च में कुछ खर्च इस प्रकार है।

अनु.जाती	-	41,561 करोड
अनु.जनजाती	-	24,598 करोड
अल्पसंख्यक	-	3,511 करोड
शिक्षा	-	65,867 करोड
स्वास्थ्य	-	32,745 करोड

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान-केन्द्र सरकार के स्वयं के निर्देशों के अनुसार अनु.जाति और अनु.जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात मे उनकी विकास योजनाओं के लिए राशी आवंटित करनी चाहिए। वर्ष 2013-14 के बजट के अनुसार योजना खर्च रुपये 5,53,322 करोड है और जनगणना 2001 के अनुसार भारत में अनु.जाति तथा अनु.जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः 16.2 प्रतिशत और 8.4 प्रतिशत है। इस आधार पर रु. 5,53,322 करोड का 16.2 प्रतिशत 89,638 करोड और 8.4 प्रतिशत रु. 46,479 करोड होता है। इसलिए अनु.जाति के लिए रु. 89,638 करोड तथा अनु.जनजाति के लिए रु. 46,479 रुपये का प्रावधान होना चाहिए था। परंतु अनु.जाति के लिए रु. 41,561 करोड तथा अनु.जनजाति के लिए रु.24,598 करोड का प्रावधान किया गया। इस प्रकार अनु.जाति को रु.48,077 करोड तथा अनु.जनजाति को रु.21,881 करोड से वंचित किया गया है। यह धोखा हर साल होता आ रहा है। इसलिए जिसप्रकार औद्योगिक क्षेत्र के लोग सरकार के समक्ष बजट पूर्व अपनी मांगे रखते है, उसी प्रकार अनु.जाति तथा अनु.जनजाति के लोगों ने सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखनी चाहिए। जरुरत पडने पर प्रदर्शन भी करना चाहिए। यह काम इन वर्गो के आर्थिक क्षेत्र के जानकार लोगों ने करना चाहिए। परंतु वह इस प्रकार की कोई भी मांग बजट पूर्व ठोस तरिके से नही रखते और बजट प्रस्तुत होने के बाद केवल हंगामा मचाते है जिसका सरकार पर कोई प्रभाव नही होता। एक तो बजट मे उचित प्रावधान नही किया जाता दुसरे अमल करते वक्त गडबडीयां होती है जिससे इस समुदाय के लोगों को समुचित लाभ नही मिल पाता। इस समुदाय अधिकत्तर लोग इन प्रावधानों के बारे मे जानते ही नही है। उन्हें जानकारी देने की आवश्यकता है ताकि वें अपने इस हक को प्राप्त कर सके।

अल्पसंख्यको के लिए प्रावधान - अल्पसंख्यकों का खासकर मुसलमानों का, पिछडापन देखते हुये उनके लिए किया गया 3,511 करोड रुपये का प्रावधान नगण्य है। यह प्रावधान योजना खर्च का केवल 0.63 प्रतिशत है।

शिक्षा के लिए प्रावधान - शिक्षा के लिए 65,867 करोड रुपये का प्रावधान किया है जो 2012-13 मे 56,223 करोड था। इस प्रकार पिछले वर्ष की अपेक्षा केवल 9,646 करोड बढाया है। शिक्षकों की कमी, विद्यालयों की खस्ता हालत तथा विद्यालयों मे आवश्यक सुविधाओं की कमी को देखते

हुये यह प्रावधान बहुत कम है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए प्रावधान - इस मद मे रु. 32,745 करोड का प्रावधान किया है जो पिछले वर्ष रु. 24,894 करोड था। इस प्रकार केवल रु. 7851 करोड बढाया है। स्वास्थ्य पर खर्च के बारे मे संसार के अन्य देशों की तुलना मे भारत बहुत पीछे है। इस देश मे इस देश में स्वास्थ सेवाओं पर सरकार केवल 30 प्रतिशत खर्च करती है और 70 प्रतिशत खर्च व्यक्तीगत करना पडता है। इसलिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा बढाना अत्यंत जरुरी है। इस प्रावधान से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित नही है।

देश के करोड़ों गरीबों को अनाज कम दरों में उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा अनाज पर सब्सीडी दी जाती है। इस बजट में अनाज पर सब्सीडी के लिए 90,000 करोड़ रूपयों का प्रावधान किया गया है जो पिछले वर्ष से केवल 5,000 करोड़ अधिक है। हालांकि वित्तमंत्री ने कहा है कि, वह यह सब्सीडी 10,000 करोड़ से और बढ़ायेंगे। परन्तु आनेवाले दिनों में लागू किये जा रहे अनाज सुरक्षा कार्यक्रम दृष्टि से वह पर्याप्त नहीं होगी। केन्द्रिय कॅबिनेट ने अनाज सुरक्षा बिल को मंजुरी दी है और वह अब संसद की मंजुरी के लिए प्रस्तुत किया जायेगा। किसी भी सरकारी योजना का उचित क्रियान्वय नहीं होता है इसलिए जनता को उसका लाभ नहीं मिलता। अनाज सुरक्षा बिल संसद द्वारा पारित करने के बाद यदि अनाज सब्सीडी कम होगी तो अनाज सुरक्षा अधिनियम का क्रियान्वय नहीं हो पायेगा और गरीबों को पूरा लाभ नहीं मिल पायेगा।

किसानों का उत्पादन खर्च कम हो इसलिए उनको खाद कम दरों में उपलब्ध कराना चाहीए। खाद की कीमते बढ़ने के कारण किसानों को नुकसान हो रहा है। सरकार द्वारा खाद पर सब्सीडी कम करने कारण ही खाद की कीमते बढ़ी हुई है। वित्तमंत्री ने इस वर्ष खाद पर सब्सीडी और कम कर दी है। सन 2011-12 में खाद पर सब्सीडी का वास्तविक खर्च 70,013 करोड़ रूपये हुआ था परन्तु वित्तमंत्री ने इस बजट में उसे कम कर केवल 65,971 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। इस कारण खाद के भाव और बढ़ेंगे और किसानों को अधिक नुकसान होगा। इसी प्रकार पेट्रोलियम सब्सीडी के लिए वित्तमंत्री ने 65,000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है जो पिछले वर्ष 96,880 करोड़ रूपये था। पेट्रोलियम सब्सीडी कम करने के कारण डीजल के भाव बढ़ेंगे जिसका असर दैनंदिन की आवश्यक वस्तुओं के भावों पर होगा अर्थात रोज के उपयोग में आनेवाली सभी वस्तुयें महंगी होगी। पेट्रोलियम पदार्थों पर सब्सीडी कम करने का सरकार का यह कदम महंगाई बढ़ाने के लिए मददगार होगा। महंगाई का असर सर्वाधिक आम आदमी पर होता है इसलिए वह गरीब हो रहा है।

भारत के कमजोर, गरीब तथा आम आदमी के उत्थान हेतु कुछ क्षेत्रों के लिए उपरोक्तानुसार बजट मे खर्चो के लिए किये गये प्रावधान बढाने की चर्चा की गई। इन वर्गो के लोगों के उत्थान के लिए किए गये प्रावधानों मे बढोतरी की आवश्यकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इन खर्चो को बढ़ाने के बाद उनकी पुर्ती कैसे की जा सकती है? उसका भी उपाय है। परंतु उसके लिए सरकार की इच्छाशक्ति की आवश्कता है। सरकार की चाहत होनी चाहिए कि इस लोगों का उत्थान हो। आयकर का अधिकतम दर बढाया जाय, पूंजीपतीयों को दी जाने वाली आयकर छूट बंद कर दी जाय, सख्त प्रावधान बनाकर कर वसुली की जाय, कर चोरी रोकने के लिए और काला धन निर्मित न हो इसके लिए इंटेलीजन्स सुदृढ किया जाय। इसके अलावा मंदिरों का धन जनता के लिए उपयोग मे लाया जाय तो सरकार की तिजोरी मे इतना अधिक धन आयेगा कि उसे जनकल्याण के कार्यो मे लगाने के बाद भी बचेगा जिससे विदेशों से लिया हुआ कर्ज चुकाया जा सकता है। भारत आर्थिक रुप से संसार का समृद्ध देश बनेगा। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे जनप्रतिनिधी देशहीत के लिए दृढसंकल्पीत हो।

मैं संपूर्ण भारत बौद्धमय करूंगा !

- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

न्यायपालिका

☆ न्यायपालिका का शुद्धीकरण जरुरी

अफजल गुरु प्रकरण मे न्यायालय मे यह सिद्ध नही हो पाया था कि, संसद पर हमले के प्रकरण मे अफजल गुरु की कोई सीधी भागीदारी थी। इसके बावजूद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने उसकी फांसी की सजा बरकरार रखी। न्यायाधिश महोदय ने यह कारण दिया था कि भारत के लोगों की सामुहीक भावना का समाधान होना जरुरी था। लोगों की सामुहिक भावना को कानुन मे कोई स्थान नही है। इसके बावजुद सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को माना गया, अफजल गुरु को फांसी होनी चाहिए इसलिए राजनितिक दबाव बनाया गया। अफजल गुरु की दया की अर्जी राष्ट्रपतिने अस्विकार की और उसे फांसी दी गई। गृह मंत्रालय ने अफजल गुरु की फांसी की कार्यवाही को इतना गोपनीय रखा की उसके संबधितो को विलंब के आधार पर न्यायालय मे अर्जी करने का मौका भी नही मिला। जबकी राजीव गांधी हत्या प्रकरण मे विलंब के आधार पर आरोपियों द्वारा की गई अर्जी को न्यायालय ने मान्य किया था।

भारत मे न्यायालयों द्वारा सुनाये गये ऐसे अनेक निर्णय हो सकते है जिनमे कानुन का आधार न होकर धर्मद्वेष, जातिद्वेष और अन्य द्वेष के आधार पर दिये गये हो। इस प्रकार के निर्णयों से आहत हमारे देश के बहुसंख्यक अज्ञानी, गरिब और कमजोर लोगों को न्याय नही मिलता। न्यायालयों मे भ्रष्टाचार भी आम बात हो गई है। इसलिए न्यायपालिका का शुद्धीकरण होना अत्यंत आवश्यक है ताकि जनता को निष्पक्षता के साथ विधीसंगत न्याय मिल सकें।

☆ जाति पंचायत के फतवे गैरकानुनी

सर्वोच्च न्यायालय के न्या. आफताब आलम और न्या. रंजना देसाई की खण्डपीठ ने यह निर्णय दिया कि जाति पंचायत का फतवा गैरकानुनी है। महिलाओं ने पॅन्टशर्ट नही पहनना चाहिये, मोबाईल नही रखना चाहिए इत्यादी प्रकार के फतवे जीवन जीने के मूलभूत अधिकार के विरुद्ध है इसलिए गैरकानुनी है। खंडपीठ ने जाति पंचायत को इस संबंध में प्रतिज्ञापत्र दाखिल करने के निर्देश भी दिय।

☆ सार्वजनिक स्थान पर पुतले लगाना तथा निर्माण कार्य करना प्रतिबंधित हो

सर्वोच्च न्यायालय के न्या.आर.एम. लोढा तथा न्या.एस.जे. मुखोपाध्याय के खंडपीठ ने राज्य सरकारों को यह निर्देश दिये कि सार्वजनिक स्थानों पर पुतले लगाने या निर्माण कार्य करने की अनुमति न दी जाए। खंडपीठ ने कहा, जनता का हित सर्वोपरी है। जनता का रोड किसी की संपत्ती नही है। हर किसी नागरिक को रोड पर स्वतंत्र रुप से घुमने का अधिकार है। इस अधिकार को पुतले लगाकर, मंदिर मज्जीद, चर्च इत्यादि बनाकर नही छीना जा सकता। इस प्रकार की प्रथा एकदम बंद होनी चाहिए।

न्यायालय ने आगे कहा कि, किसी को प्रस्थापित करने की बजाय आप उस राशी का उपयोग गरिबों के उत्थान के लिए क्यों नही करते।

☆ अवैध दवा परिक्षण के मामले में सर्वोच्च न्यायालय केन्द्र पर नाराज

मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य अधिकार मंच द्वारा दायर जनहीत याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के न्या.आर.एम. लोढा और न्या.ए.आर.दवे के खंडपीठ में सुनवाई के दौरान न्यायालय ने केन्द्र सरकार को फटकार लगाई है। बहुराष्ट्रीय कंपनीयों द्वारा अवैध दवा परिक्षण किया जा रहा है जिसके कारण अनेक भारतीय नागरिकों को जान गंवानी पड़ रही है परन्तु इस प्रकार के परिक्षण पर केन्द्र सरकार ने रोक नहीं लगाई है। न्यायालय ने कहा कि, अब सभी दवाओं के परिक्षण केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव की देखरेख में किये जाएं। अनेक दवा कंपनीयां दवाओं का परिक्षण बगैर रोकटोक कर रही है और उसके लिए अनजान नागरिकों 'गीनीपीग' जैसा उपयोग किया जा रहा है। इन परिक्षणों के कारण सैकड़ो नागरिकों की मृत्यु हुई है। परन्तु सरकार इन नागरिकों की जान बचाने हेतु कोई कदम नहीं उठा रही है। सरकारने इस प्रकार के परिक्षणों पर रोक नहीं लगाई है।

'इस देश के नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा आपने करनी ही है। यह आपका कर्तव्य है। इस प्रकार के खतरनाक प्रयोग के विरूद्ध आपने शिघ्र कदम उठाकर लोगों की मौतों को रोकना चाहिए और दवाओं का परिक्षण रोकना चाहिए।' इस प्रकार की ताकीद न्यायालय ने केन्द्र सरकार को दी है।

☆ महिलाओं की सार्वजनिक बसों में छेड़खानी के बाद कार्यवाही नहीं करने पर वाहन का परमिट समाप्त होगा।

सार्वजनिक परिवहन सेवा में यदि यात्रा के दौरान

महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है तो चालक या परिचालक इन्होंने वाहन को सीधे पुलिस स्टेशन में ले जाना चाहिए और पुलिस को घटना की सुचना देनी चाहिए। यदि चालक, परिचालक, बस मालिक या ट्रेवल एजेंट कार्यवाही करने से इन्कार करते है तब उस बस का परमिट निरस्त किया जायेगा। उसी प्रकार सार्वजनिक परिवहन सेवा में वाहन चालक या कंडक्टर ने किसी महिला के साथ बदसलुखी की और ऐसी सुचना यदि परिवहन अधिकारी को मिलती है तब उस वाहन का परमिट निरस्त होगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने उप-महासंचालक और अन्य विरूद्ध एस. समुथीराम के प्रकरण में महिलाओं की छेड़छाड़ के रोकथाम हेतु कुछ निर्देश दिये है।

☆ **सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात के न्यायालय को एस.आई.टी. की रिपोर्ट पर अंतिम आदेश पारित नहीं करने के निर्देश दिये।**

अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसायटी में दिनांक 28.2.2002 को कांग्रेस के नेता अहसान जाफरी सहीत 69 लोगों की हत्या कर दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस घटना की जांच के लिए स्पेशन इन्वेस्टीगेशन टीम (एस.आई.टी.) गठीत की थी। इस टीम द्वारा जांच कर अंतिम रिपोर्ट दि. 13.3.2012 को अहमदाबाद ट्रायल कोर्ट में प्रस्तुत की थी जिसे कोर्ट ने 27 नवंबर 2012 को स्विकार कर लिया था।

अहसान जाफरी की पत्नी जकीया जाफरी द्वारा एस.आय.टी. की अंतिम रिपोर्ट के विरूद्ध याचिका दायर करने हेतु कुछ दस्तावेज की मांग की थी जिसे ट्रायल कोर्ट ने अस्विकार कर दिया। जकीया जाफरी का कहना है कि वह एस.आई.टी. की अंतिम रिपोर्ट के विरूद्ध बगैर दस्तावेजों के याचिका दायर नहीं कर पा रही है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्या.डी.के. जैन, न्या. पी.सदाशीवम तथा न्या. आफताब आलम की खंडपीठ ने गुजरात ट्रायल कोर्ट से कहां की वह एस.आई.टी. के रिपोर्ट के संबंध में अंतिम आदेश पारित न करे।

☆ **सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिश ने न्याय में देरी के लिए सरकार को दोषी ठहराया**

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मदन बी.लोकुर, जो न्यायालय के ई-कमिटी के प्रमुख है, ने कहा कि राज्य सरकारों द्वारा सहायता की कमी के कारण न्याय देने में देरी हो रही है। वें 'टेक्नॉलाजी टू एनेबल एक्सेसीबल एण्ड स्पीडी जस्टीस' विषय पर आयोजीत सेमिनार में बोल रहे थे।

न्या. लोकुर ने कहा कि न्यायपालिका को आम बजट खर्चों का केवल 0.4 प्रतिशत ही हिस्सा आबंटीत किया जाता है जो बहुत ही अपर्याप्त है।

इस पर उन्होंने प्रश्न भी किया कि क्या न्यायपालिका इतनी महत्वहीन है ? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि बजट आबंटन अपर्याप्त है क्योंकि न्यायालयों की संख्या वर्तमान संख्या 14000 से 18,847 तक बढ़ानी है और वर्तमान न्यायालयों का तकनिकी सुविधा से आधुनिकरण करना है। न्यायाधिशों की संख्या बढ़ाने के साथ हमें भूमि, नये न्यायालय, न्यायालयों का आधुनिकरण, स्टाफ तथा संसाधनों की आवश्यकता है जिसके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है।

Mob. 9860906212

प्रज्ञा प्रिन्टर्स

सिंगल कलर
एवं मल्टिकलर में

पत्रिका, किताबें, कॅलेण्डर, पोस्टर्स,
पाम्पलेट एवं अन्य सामग्री की उत्कृष्ट छपाई

दुकान नं. 6, केशव कॉम्पलेक्स, 10 नं. पुल, नागपुर-17.

समिति द्वारा सम्पन्न कार्यक्रम

बुद्ध धम्म संदेश रैली का समापन :

बुद्ध धम्म प्रचार समिति द्वारा आयोजित 'बुद्ध धम्म संदेश रैली' का प्रारंभ 28 नवम्बर 2012 को किया गया था। 22 फरवरी 2013 को इस रैली का समापन धम्मगिरी, काजलवाणी पर किया गया। विदित हो कि प्रतिवर्ष कार्तिक पुर्णिमा से माघ पुर्णिमा तक समिति द्वारा तीन माह तक लगातार रैली के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों में बुद्ध एवं बाबासाहेब के विचारों का प्रचार-प्रसार किया जाता रहा है। इस वर्ष रैली का प्रारंभ दिनांक 28 नवम्बर 2012 को धम्मगिरी, काजलवाणी से किया गया। दो वाहनों के द्वारा देश के आठ राज्य (महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, ओड़िशा तथा छत्तीसगढ़) में धम्म का प्रचार-प्रसार किया गया।

बुद्ध धम्म संदेश रैली के माध्यम से बुद्ध धम्म प्रचार समिति के कार्यकर्ताओं ने अनेक स्थानों पर पहुंचकर बुद्ध धम्म की शिक्षा को समझाया तथा बाबासाहेब के आन्दोलन को समझाया। स्थानिय लोगों ने इन विचारों को समझा और उन्हें अपनाकर मानव कल्याण के इन विचारों पर अग्रसर होने की इच्छा दर्शायी। समिति के कार्यकर्ताओं ने बाबासाहेब द्वारा लिखित ग्रंथ 'बुद्ध और उनका धम्म', 'बुद्ध या कार्ल मार्क्स' तथा समिति द्वारा प्रकाशित 'बुद्ध संदेश और 22 प्रतिज्ञा' (डीवीडी तथा पाकिट बुक), त्रैमासिक पत्रिका 'प्रज्ञा प्रकाश' और नव वर्ष का कॅलेन्डर वितरित किया। इस प्रकार रैली के माध्यम से तथागत बुद्ध और बाबासाहेब का संदेश देश के अधिकतर भाग में पहुंचाया गया। स्थानिय लोगों ने भी बढ़-चढ़कर प्रतिसाद दिया और सहयोग किया।

बुद्ध धम्म महोत्सव

दिनांक 23,24 एवं 25 फरवरी 2013 को बुद्ध धम्म महोत्सव का भव्य आयोजन धम्मगिरी काजलवाणी तह.सौसर जि. छिन्दवाड़ा (म.प्र.) पर किया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन पूज्य भन्ते आर्य नागार्जुन सुरेई ससाई के द्वारा दिनांक 23.02.2013 को किया गया। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि बुद्ध धम्म के प्रचार एवं प्रसार के लिये ऐसे भव्य आयोजन करने की आवश्यता है। इस बुद्ध धम्म महोत्सव में भारत के कोने-कोने से आये हुए लोग बुद्ध धम्म का ज्ञान प्राप्त करेंगे, उन्हें प्रेरणा मिलेगी और वे अपने क्षेत्रों में जाकर बुद्ध धम्म का प्रचार एवं प्रसार करेंगे। बुद्ध धम्म मानव कल्याण के लिए है। यदि लोग बुद्ध धम्म की शिक्षाओं को ग्रहण करते है और उसके अनुसार आचरण करते है तो उनका कल्याण ही होगा। डॉ. बाबासाहेब के संकल्प के अनुसार यदि हमें भारत बौद्धमय करना है तो हमने बुद्ध धम्म का प्रचार बड़ी तेजी से और सही तरीके से करना चाहिए।

हमारे धम्म प्रचार का आधार डॉ. बाबासाहेब द्वारा लिखित ग्रंथ 'बुद्ध और उनका धम्म' यही होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग और भिक्षु विपश्यना, परित्राण पाठ इत्यादि को प्रचारित कर रहे है यह बुद्ध धम्म की शिक्षा नहीं है। इससे बौद्धों के मन में भ्रांतियां पैदा हो रही है। इस प्रकार का गलत प्रचार एवं प्रसार न हो इसकी भी हमारी जिम्मेदारी है।

बुद्ध धम्म प्रचार समिति द्वारा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा लिखित ग्रंथ 'बुद्ध और उनका धम्म' के आधार पर ही प्रचार एवं प्रसार किया जा रहा है इसलिये उन्होंने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की।

बुद्ध धम्म महोत्सव के उद्घाटन के बाद 'बौद्ध युवा सम्मेलन' आयोजित किया गया। आगरा से आये युवा वक्ता चन्द्रमोहन गौतम, संबलपुर (ओडिसा) के धम्मप्रिय एम.आर.प्रशांत तथा मुंबई के अमोल कुमार बोधीराज द्वारा संबोधन किया गया। उन्होंने 'बाबासाहेब का आन्दोलन आगे बढ़ाने के लिए तथा बुद्ध धम्म का प्रचार-प्रसार करने के लिये. युवाओं के कर्तव्य' इस विषय पर अपने ओजस्वी विचार रखकर उपस्थितों में जोश भर दिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता उ.प्र. से आये हुए युवा कार्यकर्ता आयु. जितेन्द्र प्रसाद ने की।

महोत्सव के दूसरे दिन 24 फरवरी 2013 को 'बौद्ध महिला सम्मेलन' आयोजित किया गया जिसमें छायाताई कुरूडकर एवं नंदाताई फुकट द्वारा 'अंधविश्वास, चमत्कार, पुजापाठ, संस्कार और त्यौहार से मुक्त होकर ही बुद्ध धम्म का आचरण संभव है' इस विषय पर अपने विचार रखे, उन्होंने अनेक उदाहरण देकर हिन्दू धर्म की कुप्रथाएं मानवता के लिये कितनी घातक है इसे समझाया। 'बाबासाहेब का आन्दोलन

आगे बढ़ाने के लिए तथा बुद्ध धम्म का प्रचार-प्रसार करने के लिये महिलाओं का कर्तव्य' इस विषय पर उमा नगराले एवं निशा बौद्ध ने अपने विचार रखे। महिला वक्ताओं के विचारों को सुनकर उपस्थित महिलाओं की अज्ञानता दूर हुयी और उन्हें सत्य का बोध हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता, पूणे से आयी हुई प्रा. डॉ. निलिमा चौहान ने की। उन्होंने अपने मार्गदर्शन पर भाषण में महिलाओं को कुप्रथा त्यागकर बुद्ध धम्म की शिक्षा के अनुसार आचरण करने और उसे प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए प्रेरित किया।

दिनांक 25 फरवरी 2013 को विद्वान वक्ताओं ने मार्गदर्शन किया। '22 प्रतिज्ञा बौद्धों की आचारसंहिता' इस विषय पर भन्ते नागवंश, 'बौद्ध जीवन मार्ग' इस विषय पर आयुष्यमान बबनराव दूधे (धम्मसाथी), 'बुद्ध की सामाजिक क्रान्ति' इस विषय पर भन्ते के.के.राहुल तथा 'भारतीय संविधान की मानव कल्याण हेतु उपयोगिता इस विषय पर ॲड. रावसाहेब मोहन द्वारा मौलिक विचार रखे गये इस सत्र की अध्यक्षता ॲड. रावसाहेब मोहन द्वारा की गयी।

बुद्ध धम्म के प्रचार की आवश्यकता को देखते हुए पूज्य

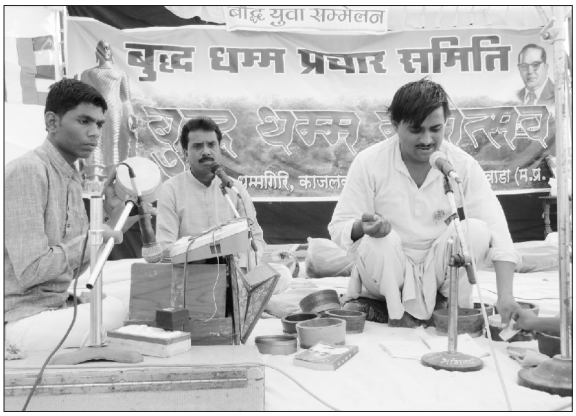

भन्ते आर्य नागार्जुन सुरेई ससाई दिनांक 25 फरवरी 2013 को भी बुद्ध धम्म महोत्सव में पुनः उपस्थित हुए और उन्होंने मार्गदर्शन किया।

वक्ताओं द्वारा किये गये मार्गदर्शन के बाद प्रतिदिन संध्या समय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीतमय प्रबोधन एवं

नाटकों के माध्यम से समाज प्रबोधन का कार्य किया गया। जिसमें प्रथम दिन सत्यपाल महाराज के शिष्य संदिप पाल महाराज का संगीतमय प्रबोधन तथा 'मैं आंबेडकर बोल रहा हूं' नाटक का मंचन हुआ। दूसरे दिन 'बाबा तुमचा समाज मेला' तथा 'मोहीम' नाटक की प्रस्तुति आयुष्यमती पल्लवी केवल जीवनतारे-नागपुर द्वारा की गई। आयु. सुरज राही बौद्ध, फिरोजाबाद (उ.प्र.) ने क्रान्तिकारी भिम-बुद्ध गितों का

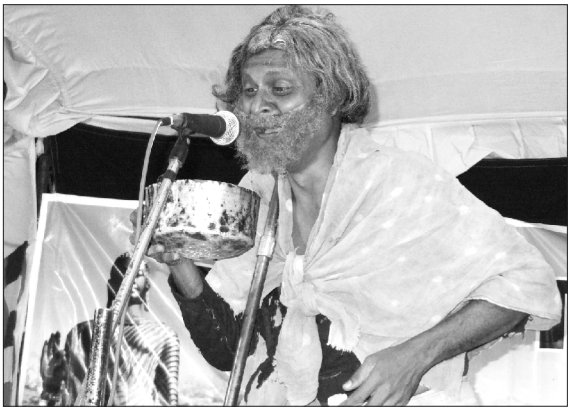

समां बांधा। तिसरे दिन नाटक 'भाकर' की प्रस्तुति आयु. महेन्द्र गोंडाने द्वारा अत्यंत मार्मिक रूप से की। स्थानिय लोगों ने भी अपनी प्रस्तुतियां पेश की और बढ़-चढ़कर अपना योगदान दिया और कार्यक्रम को सफल बनाया।

इस प्रकार बुद्ध धम्म महोत्सव अत्यंत प्रेरणादायी और सफल रहा।

समिति द्वारा आगामी कार्यक्रम

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती समारोह :

बुद्ध धम्म प्रचार समिति के कार्यकर्ता विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की जयंती मनाने के लिये लोगों को प्रेरित करते है तथा इन समारोहों में पहुंचकर बाबासाहेब के 'जीवन और कार्य' पर सम्बोधन कर उनके बताये हुये मार्ग पर चलने के लिये प्रेरित करते है।

बुद्ध जयंती समारोह :

बुद्ध धम्म प्रचार समिति द्वारा आगामी 25 मई 2013 को धम्मगिरी, काजलवाणी पर वैशाख पुर्णिमा के पावन अवसर पर 'बुद्ध जयंती समारोह' का आयोजन किया जायेगा। समस्त प्रबुद्ध उपासक-उपासिका इस समारोह में अवश्य उपस्थित होवें।